

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 दिसम्बर 2024—अग्रहायण 29, शक 1946

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2024

क्र. ई-5-607-आयएस-लीव-5-एक.—श्री के. सी. गुप्ता, भाप्रसे (1992), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग (अतिरिक्त प्रभार) का दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2024 तक, नौ दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 21, 22 दिसम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनमति सहित) स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री के. सी. गुप्ता, भाप्रसे की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री संजय दुबे, भाप्रसे (1993), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग (मा. अ. प्र.) तथा विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ एवं अपर मुख्य सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. गुप्ता, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग (अतिरिक्त प्रभार) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री के. सी. गुप्ता, भाप्रसे द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग (अतिरिक्त प्रभार) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संजय दुबे, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे।

6307

(5) अवकाशकाल में श्री के. सी. गुप्ता, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. गुप्ता, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग जैन, मुख्य सचिव।

भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2024

क्र. एफ 5-08-2022-एक (1).—माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री जी. एस. अहलुवालिया, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को डी.आर.-कम-पी.पी.एस. मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्र. बी-4750 (दो-1-4-2018), दिनांक 15 अक्टूबर 2024 के अनुक्रम में दिनांक 1 अक्टूबर 2024 का एक दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. एफ 1-3-5-0001-2023-साप्रवि-1-01 (साप्रवि).—माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री प्रकाश चंद्र गुप्ता, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, इन्दौर को डी. आर.-कम-पी.पी.एस. मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्र. बी-4732 (दो-1-19-2024) दिनांक 14 अक्टूबर 2024 के अनुक्रम में, दिनांक 23 से 24 सितम्बर 2024 तक दो दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 22 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. 1928-2369919-2024-साप्रवि (1).—माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री दुप्पाला वेंकट रमन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश खण्डपीठ, इंदौर को डी.आर.-कम-पी.पी.एस. मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्र. बी-4734 (दो-1-20-2023) दिनांक 14 अक्टूबर 2024 के अनुक्रम में, दिनांक 20 से 21 अगस्त 2024 तक दो दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 से 19 अगस्त 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम 1954, की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. 1930-2369919-2024-साप्रवि (1).—माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री दुप्पाला वेंकट रमन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश खण्डपीठ, इंदौर को डी.आर.-कम-पी.पी.एस. मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्र. बी-4730 (दो-1-20-2023) दिनांक 14 अक्टूबर 2024 के अनुक्रम में, दिनांक 8 से 12 जुलाई 2024 तक पाँच दिन का पूर्ण

वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 एवं 7 जुलाई 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् दिनांक 13 एवं 14 जुलाई 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. 1932-2388360-2024-एक (1).—माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री रूपेश चन्द्र वाष्ण्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ, ग्वालियर को डी.आर.-कम-पी.पी.एस., मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्र. सी-7505 (दो-1-20-2024), दिनांक 25 अक्टूबर 2024 के अनुक्रम में दिनांक 14 से 18 अक्टूबर 2024 तक पाँच दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 5 से 13 अक्टूबर 2024 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 एवं 20 अक्टूबर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. 1938-2370073-2024-साप्रवि (1).—माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को डी.आर.-कम-पी.पी.एस. मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्र. बी. 4752 (दो-1-21-2023) दिनांक 15 अक्टूबर 2024 के अनुक्रम में दिनांक 3 से 4 अक्टूबर 2024 तक दो दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. 1940-2370049-2024-साप्रवि (1).—माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री संजय द्विवेदी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को डी.आर.-कम-पी.पी.एस. मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्र. ए-7340 (दो-1-4-2020) दिनांक 15 अक्टूबर 2024 के अनुक्रम में दिनांक 5 सितम्बर 2024 का एक दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. 1942-2370049-2024-साप्रवि (1).—माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री संजय द्विवेदी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को डी.आर.-कम-पी.पी.एस. मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्र. ए-7338 (दो-1-4-2020) दिनांक 15 अक्टूबर 2024 के अनुक्रम में दिनांक 17 से 20 सितम्बर 2024 तक चार दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2024

क्र. 2006-2408517-2024-साप्रवि (एक).—माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री संजीव एस. कालगांवकर, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, इन्दौर को डी. आर.-कम-पी.पी.एस. माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक ए-7687 (दो-1-16-2024), दिनांक 6 नवम्बर 2024 के अनुक्रम में, दिनांक 4 अक्टूबर 2024 का एक दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 5 से 13 अक्टूबर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. 2008-2408474-2024-साप्रवि (एक).—माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री बिनोद कुमार द्विवेदी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, इन्दौर को डी. आर.-कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक सी-7649 (दो-1-4-2024), दिनांक 6 नवम्बर 2024 के अनुक्रम में, दिनांक 4 से 11 सितम्बर 2024 तक आठ दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कटेशरिया, उपसचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2024

क्र. एफ 1(ए) 145-1990-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री अरविन्द कुमार, भापुसे, महानिदेशक, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबन्धन, मुख्यालय को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 4 से 6 दिसम्बर 2024 तक तीन दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 7-8 दिसम्बर 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में अकेले गृह नगर गंगटोक (सिक्किम) की यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा की अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अरविन्द कुमार, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न महानिदेशक, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबन्धन, मुख्यालय के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अरविन्द कुमार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरविन्द कुमार, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए) 390-1988-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री सुधीर कुमार सक्सेना, भापुसे, पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 26 व 27 नवम्बर 2024 के दो दिवस आकस्मिक अवकाश अवधि में सपरिवार शिर्डी (महाराष्ट्र) की यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा की अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है :-

1. श्री सुधीर कुमार सक्सेना — स्वयं
2. श्रीमती प्रियंवदा सक्सेना — पत्नी

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार सक्सेना, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री सुधीर कुमार सक्सेना, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुधीर कुमार सक्सेना, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2024

संशोधित आदेश

क्र. एफ 1(ए) 12-2005-ब-2-दो.—राज्य शासन एतद्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 8 नवम्बर 2024 को संशोधित करते हुए, श्री योगेश मुदगल, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 26 दिसम्बर 2024 से 10 जनवरी 2025 तक सोलह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 25 दिसम्बर 2024 व 11-12 जनवरी 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण यात्रा अंतर्गत लक्षद्वीप (कावारत्ती) वाया दिल्ली वापसी कोच्ची / मदुरई जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. श्री योगेश मुदगल — स्वयं
2. श्रीमती संजुक्ता मुदगल — पत्नी
3. श्री अरस्तू मुदगल — पुत्र
4. श्री जन्मेजय मुदगल — पुत्र

(2) आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

क्र. एफ 1 (ए) 90-2008-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 21 से 22 नवम्बर 2024 तक, दो दिवस अर्जित अवकाश एवं 23-24 नवम्बर 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्नू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

प्रथम तल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2024

पंजी. क्र. 3411-इक्कीस-ब (दो) 24.—राज्य शासन, इस विभाग के आदेश दिनांक 28 अप्रैल 2023 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ, ग्वालियर में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन, भोपाल, मध्यप्रदेश के दाण्डिक प्रकरणों, अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त संगठन) भोपाल की ओर से पैरवी करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 24(8) के अधीन नियुक्त विशेष लोक अभियोजक श्री संकल्प शर्मा, अधिवक्ता, ग्वालियर के कार्यकाल में दिनांक 20 अप्रैल 2024 से पुनः एक वर्ष की अभिवृद्धि करता है। उन्हें उक्त प्रकरणों में पैरवी के फलस्वरूप पारिश्रमिक इत्यादि का भुगतान लोकायुक्त संगठन भोपाल द्वारा किया जावेगा।

पंजी. क्र. 3412-इक्कीस-ब (दो) 24.—राज्य शासन, इस विभाग के आदेश दिनांक 2 अगस्त 2023 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ, इन्दौर में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन भोपाल, मध्यप्रदेश के दाण्डिक प्रकरणों, अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त संगठन) भोपाल की ओर से पैरवी करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 24(8) के अधीन नियुक्त विशेष लोक अभियोजक श्री राघवेंद्र सिंह रघुवंशी, अधिवक्ता, इन्दौर के कार्य अवधि में दिनांक 25 जनवरी से 31 अक्टूबर 2024 तक की अभिवृद्धि करता है। उन्हें उक्त प्रकरणों में पैरवी के फलस्वरूप पारिश्रमिक इत्यादि का भुगतान लोकायुक्त संगठन भोपाल द्वारा किया जावेगा।

पंजी. क्र. 3413-इक्कीस-ब (दो) 24.—राज्य शासन, इस विभाग के आदेश दिनांक 1 जून 2023 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ग्वालियर में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन भोपाल, मध्यप्रदेश के दाण्डिक प्रकरणों, अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त संगठन) भोपाल की ओर से पैरवी करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 24(8) के अधीन नियुक्त विशेष लोक अभियोजक श्री अजय कुमार चतुर्वेदी,

अधिवक्ता, ग्वालियर के कार्य अवधि में दिनांक 12 जून से 31 अक्टूबर 2024 तक की अभिवृद्धि करता है। उन्हें उक्त प्रकरणों में पैरवी के फलस्वरूप पारिश्रमिक इत्यादि का भुगतान लोकायुक्त संगठन भोपाल द्वारा किया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धर्मपाल सिंह सिवाच, सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2024

पंजी. क्र. 3314-2024-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, तहसील अकोदिया, जिला शाजापुर में विभागीय आदेश दिनांक 9 अक्टूबर 2023 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री संदीप श्रीवास्तव के विरुद्ध न्यायालय, उज्जैन में प्रचलित फौजदारी प्रकरण क्रमांक 1879/2021 प्रकरण पंजीबद्ध होने संबंधी जानकारी / तथ्यों को छुपाये जाने के कारण नोटरी अधिनियम, 1952 (क्रमांक 53 सन् 1952) की धारा 10 के खण्ड (घ) सहपठित नोटरी नियम, 1952 के नियम 13 के उपनियम (12) के खण्ड (ख) (I) के अंतर्गत उनका नोटरी के रूप में व्यवसाय करने का प्रमाण-पत्र निरस्त करते हुए, स्थाई तौर से नोटरी का व्यवसाय करने से वर्जित किया जाता है एवं उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2024

पंजी. क्र. 3309-2024-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, जिला मुख्यालय, राजगढ़ में विभागीय आदेश दिनांक 18 जुलाई 2016 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री गजेन्द्र सिंह पवार का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी में विलोपित करता है।

पंजी. क्र. 3310-2024-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, जिला मुख्यालय, मंदसौर में विभागीय आदेश दिनांक 31 मार्च 1997 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री गोविन्दलाल गर्ग को उनके द्वारा प्रेषित त्याग-पत्र के आधार पर उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

पंजी. क्र. 3315-2024-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, तहसील जावरा, जिला रतलाम में विभागीय आदेश दिनांक 11 सितम्बर 2008 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री ओमप्रकाश गौड का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रवीण हजारे, अपर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2024

अधि. क्र.-भ.स.क.म.म.-2024-3280.— भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 22 की उपधारा (01) की कंडिका (ई) सहपठित मध्यप्रदेश, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 277, 279 एवं 280 के अधीन प्रदत्त शक्तियों एवं प्रावधानों के अंतर्गत मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से, अधिसूचना क्रमांक 434, दिनांक 30 जनवरी 2024 द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 फरवरी 2024 में “पंजीकृत भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों की संतानों हेतु स्कूल छात्रवृत्ति योजना 2024” अधिसूचित की गई थी. उक्त अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है, अर्थात् :—

संशोधन

“4(g) योजनांतर्गत किसी शैक्षणिक सत्र हेतु ऐसे छात्र-छात्रा की छात्रवृत्ति हेतु पात्र होंगे जिनके द्वारा उस शैक्षणिक सत्र हेतु अन्य शासकीय विभागों जैसे जनजातीय कार्य विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं अन्य विभागों से छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं की जा रही है.”

के स्थान पर

“4(g) योजनांतर्गत किसी शैक्षणिक सत्र हेतु ऐसे छात्र-छात्रा भी छात्रवृत्ति हेतु पात्र होंगे जिनके द्वारा उस शैक्षणिक सत्र हेतु अन्य शासकीय विभागों जैसे जनजातीय कार्य विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं अन्य विभागों से छात्रवृत्ति प्राप्त की जा रही है.”

प्रतिस्थापित किया जाता है.

रत्नाकर झा, सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश

नीमच, दिनांक 29 नवम्बर 2024

क्र. 1788-नामकरण समिति-2024.— सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 19-196-2003-एक-4, भोपाल, दिनांक 28 जून 2004 एवं उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के परिपत्र क्र. 19-24-2019-एक-4, भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2019 अनुसार जिलास्तरीय समिति को राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध महापुरुषों, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग के महापुरुषों एवं स्थानीय सम्माननीय नागरिकों के नाम पर शासन द्वारा निर्मित अधोसंरचना के बड़े कार्यों, भवन, संस्था या सार्वजनिक स्थल का नामकरण करने के लिए अधिकार सौंपे गये हैं.

जिलास्तरीय समिति, जिला नीमच द्वारा दिनांक 30 सितम्बर 2024 की बैठक में सर्वसम्मति से शासकीय चिकित्सालय मनासा, तहसील मनासा, जिला नीमच का नामकरण “रामेश्वर मारू शासकीय चिकित्सालय मनासा” तहसील मनासा, जिला नीमच किये जाने का निर्णय लिया गया है.

अतः, शासकीय चिकित्सालय मनासा, तहसील मनासा, जिला नीमच का नामकरण “रामेश्वर मारू शासकीय चिकित्सालय मनासा” पढ़ा / लिखा जावे.

हिमांशु चन्द्रा, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 22 नवम्बर 2024

प्र. क्र. 17-अ-82-वर्ष 2024-2025.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पन्ना	बिल्हा	निजी भूमि रकबा 2.8250 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.2250 हे. कुल रकबा <u>3.0500 हे.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	बड़खेरा तालाब योजना के अंतर्गत नहर निर्माण कार्य में प्रभावित ग्राम बिल्हा तहसील व अनुभाग पन्ना, जिला पन्ना हेतु भूमि का अर्जन धारा 11 का प्रकाशन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग, पन्ना, जिला पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 18-अ-82-वर्ष 2024-2025.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पन्ना	लक्ष्मीपुर	निजी भूमि रकबा 5.2340 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 1.2380 हे. कुल रकबा <u>6.4720 हे.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	बड़खेरा तालाब योजना के अंतर्गत नहर निर्माण कार्य में प्रभावित ग्राम लक्ष्मीपुर तहसील व अनुभाग पन्ना, जिला पन्ना हेतु भूमि का अर्जन धारा 11 का प्रकाशन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग, पन्ना, जिला पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 19-अ-82-वर्ष 2024-2025.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1) पन्ना	(2) पन्ना	(3) हरदुआ	(4) निजी भूमि रकबा 3.0500 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.713 हे. कुल रकबा 3.7630 हे.	(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	(6) बड़खेरा तालाब योजना के अंतर्गत नहर निर्माण कार्य में प्रभावित ग्राम हरदुआ तहसील व अनुभाग पन्ना जिला पन्ना हेतु भूमि का अर्जन धारा 11 का प्रकाशन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग, पन्ना, जिला पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुरेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 18 नवम्बर 2024

क्र. 03-अ-82-भू-अर्जन-2024-25-3904.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई सूची के पद (1) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि, उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अधिसूची धारा 19

(1) भूमि का वर्णन :—

(क) जिला	दमोह
(ख) तहसील	तेन्दूखेड़ा
(ग) ग्राम	हरदुआ हाथीघाट
(घ) लगभग क्षेत्रफल	0.185 हे.

स. क्र.	खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)
01	7/1	1.39	0.185

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुधीर कुमार कोचर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 20 नवम्बर 2024

प्र. क्र. 0008-अ-82-वर्ष-2022-23.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :-

- (क) जिला — पन्ना
 (ख) तहसील — अजयगढ़
 (ग) ग्राम — बनहरीकलां
 (घ) कुल 6 मकानों का क्षेत्रफल — 899.97 वर्गमीटर

क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि का प्रकार	मकान मालिक, पिता / पति का नाम	कुल अर्जित मकानों का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1512/1	म. प्र. शासन	घनश्याम पिता खिल्लू यादव	375.73
2	1512/1	म. प्र. शासन	भूरा पिता खिल्लू यादव	218.24
3	1512/1	म. प्र. शासन	नत्थू पिता हरी यादव	187.37
4	वन खण्ड-P-182	वन खण्ड	श्रीराम पिता वाला यादव	13.02
5	220/1	निजी भूमि	पैसनी यादव पिता हरी यादव	45.26
6	302/1	निजी भूमि	मिल्ला, मु. पुलिया बेवा हरी, लक्ष्मी, धूराम पिता हरी, राजकुमारी पुत्री हरी	60.35
योग . .				899.97 वर्गमीटर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—मझगाँय मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत बांध के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि के अर्जन हेतु धारा 19 का प्रकाशन ग्राम बनहरीकलां तहसील एवं अनुभाग अजयगढ़.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0007-अ-82-वर्ष-2022-23.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयवधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :-

(क) जिला	—	पन्ना
(ख) तहसील	—	अजयगढ़
(ग) ग्राम	—	बनहरीकलां
(घ) क्षेत्रफल	—	10.60 हेक्टेयर

क्रमांक (1)	खसरा क्रमांक (2)	अर्जित रकबा (हे. में) (3)	भूमि का प्रकार (4)
1	1472	1.300	निजी भूमि
2	1473	2.000	निजी भूमि
3	1474	2.000	निजी भूमि
4	1568	2.000	निजी भूमि
5	200/1	0.050	निजी भूमि
6	200/2	0.050	निजी भूमि
7	200/3	0.050	निजी भूमि
8	200/4	0.050	निजी भूमि
9	214/2	0.035	निजी भूमि
10	1510/2/1	0.950	निजी भूमि
11	1494/1	0.880	निजी भूमि
12	1494/2	0.200	निजी भूमि
13	214/1	0.035	निजी भूमि
14	21/2	1.000	निजी भूमि
योग . .		10.600	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत बांध के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि के अर्जन हेतु धारा 19 का प्रकाशन ग्राम बनहरीकलां तहसील एवं अनुभाग अजयगढ़.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्ररूप-क

(नियम 4 देखिए)

सागर, दिनांक 12 दिसम्बर 2024

क्र. 0005अ-82-24-25-भू-अर्जन-2024-10621

मौजा कजरावन पट.ह.नं.-58 तहसील गढ़ाकोटा

राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है. अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा:—

- | | | |
|-----|---|--|
| (1) | परियोजना विकासक का नाम | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, संभाग क्रमांक-1
सागर, जिला सागर |
| (2) | भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन | जमदर्रा जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण |
| (3) | अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण | 1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रहली
2. राजस्व निरीक्षक, गढ़ाकोटा
3. सरपंच, ग्राम पंचायत, जरिया खिरिया, वि. ख. गढ़ाकोटा
4. सचिव, ग्राम पंचायत जरिया खिरिया, वि.ख. गढ़ाकोटा |
| (4) | भूमि का विवरण :— | |
| | (क) जिला | सागर |
| | (ख) तहसील | गढ़ाकोटा |
| | (ग) ग्राम / नगर | कजरावन |
| | (घ) कुल प्रभावित क्षेत्र | 4.370 हे. नहर हेतु |
| | (ङ) अर्जित होने वाला क्षेत्र | 4.370 हे. |
| (5) | प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण. | जमदर्रा जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण |
| (6) | परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र | 583.00 हे. परियोजना क्षेत्र लाभान्वित 54.30 हे.
अशासकीय प्रभावित क्षेत्र. |
| (7) | क्या ग्रामसभाओं और / या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है | नहीं |
| (8) | सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख | अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर |

प्ररूप-क

(नियम 4 देखिए)

क्र. 0007अ-82-24-25-भू-अर्जन-2024-10622

मौजा झूड़ा, पट.ह.नं.-59 तहसील गढ़ाकोटा

राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है. अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा:—

- | | |
|--|---|
| (1) परियोजना विकासक का नाम | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, संभाग क्रमांक-1 सागर, जिला सागर |
| (2) भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन | जमदर्रा जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण |
| (3) अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण. | 1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रहली
2. राजस्व निरीक्षक, गढ़ाकोटा
3. सरपंच, ग्राम पंचायत, झूड़ा, वि. ख. गढ़ाकोटा
4. सचिव, ग्राम पंचायत, झूड़ा, वि.ख. गढ़ाकोटा |
| (4) भूमि का विवरण :— | |
| (क) जिला | सागर |
| (ख) तहसील | गढ़ाकोटा |
| (ग) ग्राम / नगर | झूड़ा |
| (घ) कुल प्रभावित क्षेत्र | 2.857 हे. नहर हेतु |
| (ङ) अर्जित होने वाला क्षेत्र | 2.857 हे. |
| (5) प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण. | जमदर्रा जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण |
| (6) परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र | 583.00 हे. परियोजना क्षेत्र लाभान्वित 54.30 हे. अशासकीय प्रभावित क्षेत्र. |
| (7) क्या ग्रामसभाओं और / या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है. | नहीं |
| (8) सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख. | अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर |

प्ररूप-क

(नियम 4 देखिए)

क्र. 0006अ-82-24-25-भू-अर्जन-2024-10623

मौजा पडक्वारी, पट.ह.नं.-20 तहसील गढ़ाकोटा

राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है। अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा:—

- | | | |
|-----|---|--|
| (1) | परियोजना विकासक का नाम | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, संभाग क्रमांक-1 सागर, जिला सागर |
| (2) | भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन | जमदर्रा जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण |
| (3) | अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण | 1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रहली
2. राजस्व निरीक्षक, गढ़ाकोटा
3. सरपंच, ग्राम पंचायत, चनौआ बुजुर्ग, वि. ख. गढ़ाकोटा
4. सचिव, ग्राम पंचायत चनौआ बुजुर्ग, वि.ख. गढ़ाकोटा |
| (4) | भूमि का विवरण :— | |
| | (क) जिला | सागर |
| | (ख) तहसील | गढ़ाकोटा |
| | (ग) ग्राम / नगर | पडक्वारी |
| | (घ) कुल प्रभावित क्षेत्र | 0.924 हे. नहर हेतु |
| | (ङ) अर्जित होने वाला क्षेत्र | 0.924 हे. |
| (5) | प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण. | जमदर्रा जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण |
| (6) | परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र | 583.00 हे. परियोजना क्षेत्र लाभान्वित 54.30 हे. अशासकीय प्रभावित क्षेत्र. |
| (7) | क्या ग्रामसभाओं और / या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है | नहीं |
| (8) | सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख | अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर |

प्ररूप-क

(नियम 4 देखिए)

क्र. 0008अ-82-24-25-भू-अर्जन-2024-10624

मौजा माधौ, पट.ह.नं.-59 तहसील गढ़ाकोटा

राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है. अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा:—

- | | |
|---|---|
| (1) परियोजना विकासक का नाम | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, संभाग क्रमांक-1 सागर, जिला सागर |
| (2) भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन | जमदर्रा जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण |
| (3) अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण | 1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रहली
2. राजस्व निरीक्षक, गढ़ाकोटा
3. सरपंच, ग्राम पंचायत, झूड़ा वि. ख. गढ़ाकोटा
4. सचिव, ग्राम पंचायत, झूड़ा वि.ख. गढ़ाकोटा |
| (4) भूमि का विवरण :— | |
| (क) जिला | सागर |
| (ख) तहसील | गढ़ाकोटा |
| (ग) ग्राम / नगर | माधौ |
| (घ) कुल प्रभावित क्षेत्र | 2.478 हे. नहर हेतु |
| (ङ) अर्जित होने वाला क्षेत्र | 2.478 हे. |
| (5) प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण. | जमदर्रा जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण |
| (6) परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र | 583 हे. परियोजना क्षेत्र लाभान्वित 54.30 हे. अशासकीय प्रभावित क्षेत्र. |
| (7) क्या ग्रामसभाओं और / या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है | नहीं |
| (8) सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख | अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर |

संदीप जी. आर., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र. 15अ-82-21-22-भू-अर्जन-2024-9781

सागर, दिनांक 20 नवम्बर 2024

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित शासकीय भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को बरौदा जलाशय योजना के डूब क्षेत्र निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। परियोजना के निर्माण से लगभग 500 है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार शासकीय भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों (मकानों) का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : बरौदा जलाशय परियोजना
 (2) भूमि का विवरण :
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम : बरौदा रहली
 4. पट.ह.नं.- : 113
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 61.51 वर्गमीटर क्षेत्र में निर्मित मकान

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में	प्रभावित मकानधारक का नाम	प्रभावित मकान का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	रिमांक
1	2	3	4	5	6	7
1	शासकीय चारागाह	854	1.050	सुदामा कमलेश रामचरण सुनील पिता रामदयाल कृष्णा पुत्री रामदयाल रामवती वेवा रामदयाल मंदिर	16.500 2.393	
2	शासकीय वन	855/976	17.180	माखन पिता खिल्ला अहिरवार	16.720	
3				उद्धेत पिता लच्छू अहिरवार	25.900	
योग:-		02	18.230		61.51	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर

तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संदीप जी. आर., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद
जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

हरसूद, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

प्ररूप "ख"

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्रमांक- 0868/ख-1/2024-25 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक- 1 से पम्प हाऊस-2 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक-01 में जल परिवहन हेतु ग्राम-नंदगांव रैय्यत, प.ह.न.-41, रा.नि.मं.-03, छनेरा, तहसील-हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19, भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम-नंदगांव रैय्यत, प.ह.न.-41,	156/1	0.015
			203	0.011
			202	0.035
			201	0.008
			198/1	0.006
खण्डवा	हरसूद	ग्राम-नंदगांव रैय्यत, प.ह.न.-41,	197/1	0.032
			196/1	0.015
			196/2	0.013
			195/1/2	0.024
			195/2/1	0.011
			195/2/2	0.011
			195/2/3	0.013
			195/2/4	0.016
			191/2	0.026
			224/1	0.047
			226	0.046
			229/2	0.012
			229/1	0.019
			229/3/1	0.014
			229/3/2	0.018
योग निजी भूमि			20	0.392

प्ररूप "ख"

[नियम 5 का उपनियम (2)]

कमांक- 0869/ब-12/2024-25 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत पम्प हाऊस कमांक- 1 से पम्प हाऊस-2 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक-01 में जल परिवहन हेतु ग्राम-चारखेड़ा (पु.आ.), प.ह.न.-45, रा.नि.मं.-03, छनेरा, तहसील-हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-19, भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम-चारखेड़ा (पु.आ.), प.ह.न. -45,	118/1/2	0.033
			118/1/1	0.013
			255	0.010
योग निजी भूमि			03	0.056

प्ररूप "ख"

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्रमांक— 0870/ख-12/2024-25 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक— 1 से पम्प हाऊस—2 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक—01 में जल परिवहन हेतु ग्राम—फेफरी सरकार, प.ह.न.—47/91, रा.नि.मं.—02, रोशनी, तहसील—खालवा, जिला—खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक—19, भीकनगांव, जिला— खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) की धारा— 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा— 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला—खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम—फेफरी सरकार, प.ह.न.—47/91	29	0.013
				0.021
			30	0.020
			28/1	0.065
			40	0.006

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम-फेफरी सरकार, प.ह.न.-47/91	41	0.015
			43	0.017
			42	0.015
			25/3	0.013
			25/2	0.016
			25/1	0.017
			47	0.002
			48	0.021
			50	0.018
			51/2	0.017
			53	0.023
			55	0.036
			57	0.067
			59	0.026
			61/4	0.003
			61/3	0.019
			61/2	0.044
			62/1	0.017
			62/2	0.009
			63	0.021
			64	0.023
			111/2	0.018
			110/2	0.010
111/1	0.003			
110/1	0.009			
108/3	0.007			
योग निजी भूमि			30	0.611

प्ररूप "ख"

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्रमांक- 08 न/ब-12/2024-25 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा मार्डको उद्वहन सिंचाई परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक- 1 से पम्प हाऊस-2 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक-01 में जल परिवहन हेतु ग्राम-खोकरिया, प.ह.न.-48/92, रा.नि.मं.-02, रोशनी, तहसील- खालवा, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19, भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जान के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम-खोकरिया, प.ह.न. -48/92,	398/1	0.030
			397/1	0.030
			397/2	0.005
			429/1	0.022
			429/2	0.004
योग निजी भूमि			05	0.091

प्ररूप "ख"

[[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्रमांक- 08 72/ब-12/2024-25 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक- 1 से पम्प हाऊस-2 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक-01 में जल परिवहन हेतु ग्राम-मेढापानी रै., प.ह.न.-49/93, रा.नि.मं.-02, रोशनी, तहसील-खालवा, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19, भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम-मेढापानी रै., प.ह.न. -49/93,	29/1	0.028
			30/1/1	0.010
			30/1/4	0.032
			30/1/3	0.010
			30/2	0.003

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम—मेढापानी रै., प.ह.न. —49/93,	70/3	0.002
			70/4	0.020
			47/1	0.008
			47/2	0.003
			48	0.022
			50/1	0.016
			51/1	0.010
			51/3	0.010
			51/4	0.002
			217	0.003
			216/1	0.016
			216/2	0.010
			215/1	0.007
			215/2	0.007
			214	0.018
			213	0.019
			252/1	0.012
			253	0.021
			252/2	0.012
			254/1	0.006
296/2	0.001			
योग निजी भूमि			26	0.308

प्ररूप "ख"

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्रमांक- ०४३३/ब-१२/२०२४-२५ अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक- 1 से पम्प हाऊस-2 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक-01 में जल परिवहन हेतु ग्राम-फेफरी पु.आ., प.ह.न.-47/91, रा.नि.मं.-02, रोशनी, तहसील-खालवा, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19, भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम-फेफरी पु.आ., प.ह.न.-47/91,	213/1/1	0.016
				0.009
			213/1/3	0.016
			213/2	0.018
				0.004
खण्डवा	खालवा	ग्राम-फेफरी पु.आ., प.ह.न.-47/91	196/4	0.006
			195/3	0.015
			195/2	0.017
			195/1	0.015
			192/2	0.012
			192/1	0.013
			191/1	0.013
			191/2	0.010
			109	0.0004
योग निजी भूमि			12	0.1644

प्ररूप "ख"

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्रमांक- 0874/4-12/2024-25 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक- 1 से पम्प हाऊस-2 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक-01 में जल परिवहन हेतु ग्राम-जामन्या आशापुर, प.ह.न.-46/90, रा.नि.मं.-02, रोशनी, तहसील-खालवा, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19, भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम-जामन्या आशापुर, प.ह.न. -46/90,	10/1	0.060
			10/2	0.052
			14/2	0.019
			14/1	0.021
			14/3	0.027
खण्डवा	खालवा	ग्राम-जामन्या आशापुर, प.ह.न. -46/90,	14/4	0.030
			14/5	0.029
			188/1	0.023
			186/1	0.009
			174	0.029
			176	0.003
			175/1	0.023
			175/2	0.007
			172/1	0.014
			171	0.050
			170/2	0.049
			248	0.027
			347	0.005
			358/2	0.011
				0.011
356	0.036			
	0.017			
योग निजी भूमि			20	0.552

प्ररूप "ख"

[नियम 5 का उपनियम (2)]

कमांक- 0875/ब-12/2024-25 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत पम्प हाऊस कमांक- 1 से पम्प हाऊस-2 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक-01 में जल परिवहन हेतु ग्राम-सक्तापुर रैय्यत, प.ह.न.-45, रा.नि.मं.-03, छनेरा, तहसील-हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-19, भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम-सक्तापुर रैय्यत, प.ह.न.-45,	127/1	0.024
			154/1/2	0.014
			154/1/3	0.017
			154/1/4	0.019
			154/2	0.009
खण्डवा	हरसूद	ग्राम-सक्तापुर रैय्यत, प.ह.न.-45,	154/3	0.043
			157/1	0.028
			158/1	0.037
			159/2	0.064
			257/1/1	0.021
			257/1/2	0.009
			298/4	0.034
			299/1/1/2	0.014
			254/3	0.029
			303/1/3	0.013
			303/2/3	0.014
			303/2/1	0.021
			303/2/2	0.021
			303/3	0.021
			373/1	0.034
			373/3	0.053
			382	0.130
372/2	0.021			
योग निजी भूमि			23	0.690

प्ररूप "ख"

[नियम 5 का उपनियम (2)]

कमांक— 0876/ब-121/2024-25 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत पम्प हाऊस कमांक— 1 से पम्प हाऊस—2 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक—01 में जल परिवहन हेतु ग्राम—छनेरा, प.ह.न.—48, रा.नि.मं.—03, छनेरा, तहसील—हरसूद, जिला—खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक—19, भीकनगांव, जिला— खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक— 5 सन् 2013) की धारा— 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा— 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला—खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम—छनेरा, प.ह.न.—48, रा.नि.मं.—03,	609/1/1	0.052
			609/1/2	0.035
			609/2	0.003
			620	0.057
			627	0.036

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम-छनेरा, प.ह.न.-48,	629	0.040
			794/2/2	0.003
			644/1/1/1	0.008
			644/1/1/2	0.010
			644/3/1/2	0.011
			638/1	0.035
			638/2	0.008
			639	0.029
			640/1	0.052
			792/2	0.025
			853/1	0.102
			854/2	0.019
			855/3	0.019
			855/2	0.019
			859	0.036
			858/1	0.009
			861	0.013
			860	0.021
			866/2	0.029
			866/4	0.019
866/3/2	0.009			
866/3/1	0.002			
866/1/1	0.024			
योग निजी भूमि			28	0.725

पुरुषोत्तम कुमार, अनुविभागीय अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र. 2737-भू-अर्जन-2024

सतना, दिनांक 16 दिसम्बर 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उंचेहरा

(ग) नगर /ग्राम - हरदुआ कोठार

(घ) क्षेत्रफल- 1.5060 हे०

क्र०	भूस्वामी का नाम / पिता का नाम	खसरा नं.	अर्जित रकवा
1	2	3	4
1	गोविंदा पिता भोला ढीमर पता लोहरौरा भूमिस्वामी	15/2	0.2830
2	गोविंदा पिता भोला ढीमर पता लोहरौरा भूमिस्वामी	16/2	0.0420
3	गोविंदा पिता भोला ढीमर पता लोहरौरा भूमिस्वामी	19/2	0.0550
4	निर्मला पत्नी राकेश ब्रा. पता सतना भूमिस्वामी	55	0.0420
5	निर्मला पत्नी राकेश ब्रा. पता सतना भूमिस्वामी	56	0.0840
6	निर्मला पत्नी राकेश ब्रा. पता सतना भूमिस्वामी	57	0.0380
7	अंकित मिश्रा पिता राकेश कुमार मिश्रा पता सतना भूमिस्वामी	20/1	0.0580
8	प्रदीप कुमार पिता विजय कुमार ब्रा. पता लोहरौरा भूमिस्वामी	20/2	0.0580
9	सूर्यकांत पिता विजय कुमार ब्रा. पता लोहरौरा भूमिस्वामी	20/3	0.0570
10	प्रकाश पिता विजय कुमार ब्रा. पता लोहरौरा भूमिस्वामी	20/4	0.0570
11	अरविंद तिवारी पिता रामनारायण तिवारी पता सतना भूमिस्वामी	21/1/1	0.0030
12	अरविंद तिवारी पिता रामनारायण तिवारी पता सतना भूमिस्वामी	3/1/1	0.0840
13	सतानंद पिता जीवनलाल ब्रा. पता सतना भूमिस्वामी	23/1/1	0.0270
14	रत्नेश यादव पिता श्री लक्ष्मी यादव पता सतना 1/2 भाग भूमिस्वामी आदित्य यादव पिता श्री बाला प्रसाद यादव पता सतना 1/2 भाग भूमिस्वामी	23/1/3	0.0160
15	मनोज पिता गणेश प्रसाद कोटवार जगजाहिर पिता भगवानदीन कुशवाहा पता सतना भूमिस्वामी	24/1	0.0310
16	उपेन्द्र सिंह पिता पिता राजेन्द्र सिंह परिहार पता लोहरौरा	26/1/2	0.0705
17	भूपेन्द्र सिंह पिता पिता राजेन्द्र सिंह परिहार पता लोहरौरा	26/1/3	0.0705
18	भूपेन्द्र सिंह पिता पिता राजेन्द्र सिंह परिहार पता लोहरौरा	25/1/1	0.0200
19	आनंद बहादुर सिंह पिता पिता राजेन्द्र सिंह परिहार पता लोहरौरा	25/1/2	0.0640

20	आनंद बहादुर सिंह पिता पिता राजेन्द्र सिंह परिहार 1/3 भाग भूमिस्वामी उपेन्द्र सिंह पिता पिता राजेन्द्र सिंह परिहार 1/3 भाग भूमिस्वामी भूपेन्द्र सिंह पिता पिता राजेन्द्र सिंह परिहार 1/3 भाग भूमिस्वामी पता लोहरौरा	25/1/3	0.0100
21	आनंद बहादुर सिंह पिता पिता राजेन्द्र सिंह परिहार 1/3 भाग भूमिस्वामी उपेन्द्र सिंह पिता पिता राजेन्द्र सिंह परिहार 1/3 भाग भूमिस्वामी भूपेन्द्र सिंह पिता पिता राजेन्द्र सिंह परिहार 1/3 भाग भूमिस्वामी पता लोहरौरा	52/1	0.0060
22	उपेन्द्र सिंह पिता पिता राजेन्द्र सिंह परिहार पता लोहरौरा	52/2	0.0400
23	विजय कुमार पिता ओंकार नारायण ब्रा. पता सतना भूमिस्वामी	53/1	0.0050
24	प्रदीप कुमार पिता विजय कुमार ब्रा. पता लोहरौरा भूमिस्वामी	53/2	0.0050
25	सूर्यकांत पिता विजय कुमार ब्रा. पता लोहरौरा भूमिस्वामी	53/3	0.0050
26	प्रकाश पिता विजय कुमार ब्रा. पता लोहरौरा भूमिस्वामी	53/4	0.0050
27	अंकित मिश्रा पिता राकेश कुमार मिश्रा पता सतना भूमिस्वामी	54/1	0.0370
28	प्रदीप कुमार पिता विजय कुमार ब्रा. पता लोहरौरा भूमिस्वामी	54/2	0.0370
29	सूर्यकांत पिता विजय कुमार ब्रा. पता लोहरौरा भूमिस्वामी	54/3	0.0370
30	प्रकाश पिता विजय कुमार ब्रा. पता लोहरौरा भूमिस्वामी	54/4	0.0370
31	विजय कुमार पिता ओंकार नारायण ब्रा. पता सतना भूमिस्वामी	59/1/1	0.0032
32	विजय कुमार पिता ओंकार नारायण ब्रा. पता सतना भूमिस्वामी	59/1/2	0.0032
33	सूर्यकांत पिता विजय कुमार ब्रा. पता लोहरौरा भूमिस्वामी	59/1/3	0.0032
34	प्रकाश पिता विजय कुमार ब्रा. पता लोहरौरा भूमिस्वामी	59/1/4	0.0032
35	विजय कुमार पिता ओंकार नारायण ब्रा. पता सतना भूमिस्वामी	59/2	0.0032
36	निर्मला पत्नी राकेश ब्रा. पता सतना भूमिस्वामी	58	0.0030
37	रामसरोवर पिता गिरजा दत्त फूला पिता रामविशाल हर प्रसाद पिता चुन्नी लाल बालभुकुंद वालकृष्ण पिता रामकुमार रामलाल कृष्ण स्वरूप इन्द्रकली बुल्लूबूटी पिता लल्ला प्रसाद किशोर राजकुमारी रामसहेली सियादुलारी पिता रामसिया बेवा माखनलाल पैसुनिया बुधिया इन्दी चुनवादी पिता रामकिशोर रामवती कृष्णा ममता पिता लालमन रामरती पिता ददनराम पता सा. देह भूमिस्वामी	27	0.0180
38	आनंद बहादुर सिंह पिता राजेन्द्र सिंह परिहार पता सतना म0प्र0	28	0.0850
कुल योग रकबा हे.में			1.5060

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत महदेई वितरिका की गोबरांवकला माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 2765-भू-अर्जन-2024

सतना, दिनांक 18 दिसम्बर 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम - राधेपुर

(घ) क्षेत्रफल- 25.0710 हे०

क्र.	भूस्वामी का नाम/पिता का नाम	खसरा नं०	अर्जित रकवा (हे.में.)
1	रामहेत पिता टंटा सेन पता सा रहिकवारा भूमि स्वामी	1347	0.115
2	रामहेत पिता टंटा सेन पता सा रहिकवारा भूमि स्वामी	1346	0.980
3	जयनारायण पुत्र स्वामीदीन ब्रा पता राधेपुर नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1348/2	0.237
4	ममता शुक्ला शुक्ला पत्नी शिव कुमार शुक्ला पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1357	0.115
5	ममता शुक्ला शुक्ला पत्नी शिव कुमार शुक्ला पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1355	0.115
6	ममता शुक्ला शुक्ला पत्नी शिव कुमार शुक्ला पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1354	0.105
7	ममता शुक्ला शुक्ला पत्नी शिव कुमार शुक्ला पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1356	0.115
8	ममता शुक्ला शुक्ला पत्नी शिव कुमार शुक्ला पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1353	0.084
9	ममता शुक्ला शुक्ला पत्नी शिव कुमार शुक्ला पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1352	0.063
10	शिवकुमार शुक्ला शुक्ला पिता लक्ष्मण प्रसाद शुक्ला पता नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1345/2	0.073
11	ममता शुक्ला शुक्ला पत्नी शिव कुमार शुक्ला पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1350	0.395
12	ममता शुक्ला शुक्ला पत्नी शिव कुमार शुक्ला पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1351	0.136
13	शिवकुमार शुक्ला शुक्ला पिता लक्ष्मण प्रसाद शुक्ला पता नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1348/1/1	0.705
14	रामलखन पिता रामावतार कुशवाहा पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1348/1/2	0.320
15	मु. लछिया बेवा ईश्वरदीन अनिल धर्मन्द्र व पुत्री निशा ऊषा पितस ईश्वरदीन काछी पता सा.रहिकवारा भूमि स्वामी	1363/2	0.058

16	मोहनलाल पिता रामसिया जाति काछी पता सा.रहिकवारा भूमि स्वामी	1364/5	0.042
17	आनन्दीलाल पुत्र रामसिया जाति काछी पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1364/6	0.030
18	रामहेत पिता मोतीलाल साहू पता सा. रहिकवारा भूमि स्वामी	1447/3/2	0.016
19	शंकधर पिता मोतीलाल साहू पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1447/3/3	0.016
20	रामलखन पिता मोतीलाल साहू पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1447/3/4	0.016
21	मु. राधा बेवा चुनुवादा रामसोहावन सुरेन्द्र कंधीलाल सोनू व पुत्री बेबी पिता चुनुवादा काछी पता सा.हनुमानसागर भूमि स्वामी	1447/1/1/2/6	0.027
22	जगदीश प्रसाद पिता सूरजदीन कुशवाहा पता सा. हनुमानसागर भूमि स्वामी	1447/1/1/2/4	0.020
23	परमलाल पिता सूरजदीन कुशवाहा पता सा.हनुमानसागर भूमि स्वामी	1447/1/1/2/5	0.027
24	अंगद प्रसाद पिता पन्नालाल गुप्ता पता रहिकवारा नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	1370	0.045
25	अंगद प्रसाद पिता पन्नालाल गुप्ता पता रहिकवारा नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	1362	0.915
26	रामहेत पिता मोतीलाल साहू पता सा. रहिकवारा भूमि स्वामी	1448/3/2	0.009
27	शंकधर पिता मोतीलाल साहू पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1448/3/3	0.016
28	रामलखन पिता मोतीलाल साहू पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1448/3/4	0.109
29	ईश्वरचंद विद्यासागर पुत्र राजाराम बानी पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1448/1/1/1/2/3	0.340
30	परमलाल पिता सूरजदीन कुशवाहा पता सा हनुमानसागर भूमि स्वामी	1448/1/1/1/1/1/1/5	0.171
31	जगदीश पिता सूरजदीन कुशवाहा पता सा हनुमानसागर भूमि स्वामी	1448/1/1/1/1/1/1/4	0.171
32	मु राधा बेवा चुनुवादा व रामसोहावन सुरेन्द्र कंधीलाल सोनू व पुत्री बेबी पिता चुनुवादा काछी पता सा हनुमानसागर भूमि स्वामी	1448/1/1/1/1/1/1/6	0.169
33	मु.ताराबती बेवा रामबहादुर दहूप्रसाद पिता बेटाईलाल कुशवाहा पता सा.हनुमानसागर भूमि स्वामी	1448/1/1/2/1	0.325
34	जवाहरलाल पिता देवीदीन काछी पता हनुमानसागर सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1448/1/1/2/3	0.205
35	मोतीलाल पिता देवीदीन काछी पता हनुमान सागर सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1448/1/1/1/1/1/1/1/1	0.020

36	सुरेशप्रसाद पिता देवीदीन काछी पता हनुमान सागर सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1448/1/1/1/1/1/1/1/2	0.180
37	बाला प्रसाद कुशवाहा पिता रामदीन कुशवाहा जाति काछी पता हनुमानसागर नागोद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1448/1/6/2	0.038
38	बाल्मीक कुशवाहा पिता रामदीन कुशवाहा जाति काछी पता हनुमानसागर नागोद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1448/1/6/3	0.038
39	रमेश कुशवाहा पिता रामदीन कुशवाहा जाति काछी पता हनुमानसागर नागोद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1448/1/6/4	0.038
40	लल्लू कुशवाहा पिता रामदीन कुशवाहा जाति काछी पता हनुमानसागर नागोद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1448/1/6/5	0.038
41	गोल्ला पुत्र छकौडी काछी पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1448/1/4/1/1/2	0.080
42	बेटाईलाल पिता रामजियावन जाति काछी पता सा. हनुमाननगर भूमि स्वामी	1448/1/4/1/1/1/4	0.080
43	मुकेश चौधरी पिता गोविन्द चौधरी जाति चमार पता सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1448/1/5/2/1	0.040
44	सतेंद्र कुशवाहा नाबालिग पिता रामजी कुशवाहा संरक्षक दादी श्रीमती झल्ली कुशवाहा पत्नी इश्वरदीन कुशवाहा जाति काछी पता हनुमान सागर नागोद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	1448/1/1/1/1/2	0.495
45	भगवतिया बेवा रामकृपाल काछी 1/5 फतेलाल पिता रामकृपाल काछी 1/5 प्रेमलाल पिता रामकृपाल काछी 1/5 बंदी पुत्री रामकृपाल काछी 1/5चंद्रकली पुत्री रामकृपाल काछी 1/5पता हनुमान सागर नागोद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1448/1/5/1	0.148
46	हीरालाल पिता देवीदीन काछी पता हनुमानसागर सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	1448/1/1/2/2/1	0.040
47	छत्रपाल सिंह पिता तेजभान सिंह वैस पता रहिकवारा सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	1449/1/1	0.010
48	रामचन्द्र पिता मंगल जाति काछी पता सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1460	0.031
49	रामचन्द्र पिता मंगल जाति काछी पता सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1461	0.094
50	रामचन्द्र पिता मंगल जाति काछी पता सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1462	0.052
51	रामलाल पिता बाबूलाल साहू पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1463/6	0.205
52	सुन्दरलाल पिता बाबूलाल जाति तेली पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1463/4	0.305
53	दिनेशकुमार पुत्र बाबूलाल साहू पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1463/8	0.386
54	राजेश कुमार पिता बाबूलाल साहू पता सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1463/7	0.205

55	रामनाथ पिता बाबूलाल साहू पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1463/5	0.325
56	रामनरेश पिता रामेश्वर साहू पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1463/1/1	0.024
57	विश्वनाथ पिता रामेश्वर साहू पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1463/1/2	0.020
58	प्रेमलाल पिता गयादीन काछी पता सा रहिकवारा भूमि स्वामी	1442/2	0.063
59	काशीराम पुत्र कन्छेदी जाति काछी गुड्डू पुत्र कन्छेदी जाति काछी शोभा पुत्री कन्छेदी जाति काछी सेमिया बेवा कन्छेदी जाति काछी ममता पुत्री कन्छेदी जाति काछी पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1441/2/2	0.715
60	रामसिया पिता शम्भू प्रसाद काछी पता हनुमानपुर सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1441/1/1/1	0.225
61	रामप्यारे पुत्र चुनवदिया 1/4 धर्मेन्द्र पुत्र रामप्यारे बसोर 1/4 लवकुश पुत्र रामप्यारे बसोर 1/4 लवकेश पुत्र रामप्यारे बसोर 1/4 पता मझगवा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1467/1/1	0.250
62	प्रेमलाल पुत्र बुध्दाबसोर जाति बसोर 1/2 सुनीता पत्नी प्रेमलाल जाति बसोर 1/2पता सुरदहाखुर्द सतना मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय बंटन से प्राप्त (अहस्तांतरणीय)	1467/1/2	0.025
63	लल्लाबाई, पत्नी गंगादीन काछी जाति काछी पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1443/3	0.030
64	रामचन्द्र पिता मंगल जाति काछी पता सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1443/2/1	0.084
65	लक्ष्मण पिता मंगल काछी पता सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1443/2/2	0.081
66	रजललन पुत्र श्रीकृष्ण ब्रा 1/10 , विजयकुमार पुत्र श्रीकृष्ण ब्रा 1/10 , अतीशकुमार पुत्र श्रीकृष्ण ब्रा 1/10 , सुशीलादेवी पुत्री श्रीकृष्ण ब्रा 1/10 , चंद्रकली पुत्री श्रीकृष्ण ब्रा 1/10 , लीलादेवी पुत्री श्रीकृष्ण ब्रा 1/10 , शीलादेवी पुत्री श्रीकृष्ण ब्रा 1/10 , सावित्री पुत्री श्रीकृष्ण ब्रा 1/10 , मीरा पुत्री श्रीकृष्ण ब्रा 1/10 , मुलायमबाई बेवा महेंद्र 1/10 पता अखरहा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	985/2/1	0.605
67	शुभम कुमार मिश्रा पुत्र दिनेश कुमार मिश्रा जाति ब्राम्हण पता सुरदहा खुर्द नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	985/2/3/3/1/1/2	0.042
68	मुकेश कुमार मिश्रा पिता दिनेश मिश्रा पता अखरहा नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	985/2/3/3/1/2	0.042
69	दिनेश कुमार पिता रामविश्वास पता सुदहा खुर्द नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	985/2/3/3/1/1/1	0.121
70	पुष्पा बेवा अशोक मिश्रा 1/2 , अपित पिता अशोक मिश्रा 1/2 पता अखरहा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	985/2/2/2	0.040
71	सुरेश कुमार पिता कीरत प्रसाद ब्रा जाति ब्रा पता अखरहा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	985/2/2/1	0.040

72	ममता बेवा रमेश प्रसाद 1/4, गोगेन्द्र पिता रमेश प्रसाद 1/4, सौरभ पिता रमेश प्रसाद 1/4, अर्पण पिता रमेश प्रसाद 1/4 पता अखरहा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	985/2/2/3	0.040
73	प्रमोद कुमार पिता कीरत प्रसाद पता अखरहा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	985/2/2/4	0.040
74	दिलीप कुमार पुत्र कीरत प्रसाद मिश्रा पता अखरहा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	985/2/2/5	0.065
75	ममता मिश्रा पत्नी दिलीप कुमार मिश्रा 418/834, ललिता मिश्रा पत्नी मनोज मिश्रा 416/834 जाति ब्रा पता अखरहा नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	985/1/2/4	0.130
76	मनीष कुमार पुत्र राजेश कुमार ब्रा पता अखरहा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	985/1/2/3	0.211
77	जगदीश प्रसाद पिता रामलला ब्रा पता सा अखरहा भूमि स्वामी	985/1/2/1	0.204
78	मनोज कुमार पिता जगदीश प्रसाद ब्रा सा अखरहा भूमि स्वामी	985/1/2/2/1	0.180
79	लवलेश पिता रामविश्वास पता नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	985/2/3/2	0.131
80	सुशीला मिश्रा पत्नी लवलेश मिश्रा पता नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	985/2/3/1	0.132
81	अखिलेश पिता रामविश्वास पता नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	985/2/3/3/2	0.365
82	रामखेलावन पिता रामभद्र ब्रा पता अखरहा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	984	1.005
83	पुष्पा मिश्रा पत्नी राजनारायण मिश्रा 171/342, साधना मिश्रा पत्नी सनत कुमार मिश्रा 171/342 पता अखरहा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	983/1	0.342
84	राजनारायण पुत्र गोरेलाल ब्रा पता अखरहा नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	983/2	0.330
85	सनत कुमार पिता गोरेलाल ब्रा पता सा अखरहा भूमि स्वामी	983/3	0.128
86	अवनीष कुमार पिता चन्द्रिका प्रसाद ब्रा पता अखरहा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	982/1/1	0.480
87	आदर्श कुमार पिता चन्द्रिका प्रसाद ब्रा पता अखरहा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	982/1/2	0.340
88	रामेश्वरप्रसाद पुत्र रामस्वरुप ब्रा पता अखरहा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	982/2	0.980
89	अवनीष कुमार पिता चन्द्रिका प्रसाद ब्रा पता अखरहा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	973/3	0.505
90	रामप्रसाद पिता फूलचन्द्र बानी पता सा.मझगवा भूमि स्वामी	975/1	0.105
91	अवनीष कुमार पिता चन्द्रिका प्रसाद ब्रा पता अखरहा सतना	975/2	0.094
92	रामखेलावन पिता रामभद्र ब्रा पता अखरहा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	976	0.785
93	शकुन्तलासिंह बेवा वीरेन्द्र सिंह पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	352/1	0.035

94	कुलवीर सिंह पिता हेमराज सिंह पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	352/3	0.010
95	शकुन्तलासिंह बेवा वीरेन्द्र सिंह पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	351	0.022
96	गुल्लालसिंह व पुत्री धर्मकुमारी उर्फ बूटी पिता धनुषधारी सिंह पता सा.रहिकवारा भूमि स्वामी	400/1	0.165
97	गुल्लालसिंह व पुत्री धर्मकुमारी उर्फ बूटी पिता धनुषधारी सिंह पता सा.रहिकवारा भूमि स्वामी	401/1	0.010
98	मुराजकुमारी सिंह बेवा पुष्पराज सिंह, अमरजीत सिंह, रंजना सिंह, साधना सिंह, वंदना सिंह, पिता पुष्पराज सिंह आराधना सिंह, सालिनी सिंह, नावा.मां राजकुमारी सिंह बेवा पुष्पराज सिंह जाति वैस पता सा.रहिकवारा भूमि स्वामी	371/1/2	0.210
99	राजेन्द्र प्रसाद पिता मोतीलाल साहू पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	376/1/1	0.012
100	शान्ती बेवा रामबहोर बानी पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी राकेश पुत्र रामबहोर बानी पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी दिनेश कुमार पुत्र रामबहोर बानी पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी भूपेश पुत्र रामबहोर बानी पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	399/1	0.110
101	इन्द्रकली बेवा अरविन्द कुमार 1/5 पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी सुमन पुत्री अरविन्द कुमार 1/5 पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी दिनेश पिता अरविन्द कुमार 1/5 पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अवधेश पिता अरविन्द कुमार 1/5 पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी संगीता पुत्री अरविन्द कुमार 1/5 पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	399/2	0.110
102	अरुण सिंह पिता हनुमान सिंह पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	377	0.011
103	अरुण सिंह पिता हनुमान सिंह पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	378/3	0.390
104	राजबक्स पिता हनुमान सिंह पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	379	0.010
105	राजबक्स पिता हनुमान सिंह पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	511	0.156
106	राजबक्स पिता हनुमान सिंह पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	512	0.015
107	राजबक्स पिता हनुमान सिंह पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	508	0.030
108	राजबक्स पिता हनुमान सिंह पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	509	0.055
109	रामराज पिता हनुमान सिंह पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	506	0.050
110	रामराज पिता हनुमान सिंह पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	505	0.008

111	रामराज पिता हनुमान सिंह पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	504	0.068
112	सुबिन्द कुमार पिता जगन्नाथ जाति काछी पता सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	534	0.042
113	सुबिन्द कुमार पिता जगन्नाथ जाति काछी पता सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	535	0.040
114	सुबिन्द कुमार पिता जगन्नाथ जाति काछी पता सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	536	0.008
115	सुबिन्द कुमार पिता जगन्नाथ जाति काछी पता सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	533	0.002
116	सुबिन्द कुमार पिता जगन्नाथ जाति काछी पता सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	532	0.008
117	सुबिन्द कुमार पिता जगन्नाथ जाति काछी पता सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	531	0.040
118	मो आसिफ पुत्र जनाब मो शरीफ मुसलमान जाति मुसलमान पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	530	0.064
119	मो आसिफ पुत्र जनाब मो शरीफ मुसलमान जाति मुसलमान पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	529	0.005
120	श्रीमती गायत्री सिंह पत्नी सुरेन्द्र प्र.सिंह पता सा.रहिकवारा भूमि स्वामी	561/1	0.009
121	कुन्जीलाल पिता रामजियावन जाति काछी पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	562	0.055
122	कुन्जीलाल पिता रामजियावन जाति काछी पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	563	0.005
123	कुन्जीलाल पिता रामजियावन जाति काछी पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	564	0.055
124	कुन्जीलाल पिता रामजियावन जाति काछी पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	565	0.005
125	कुन्जीलाल पिता रामजियावन जाति काछी पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	566	0.031
126	श्रीमती गायत्री सिंह पत्नी सुरेन्द्र प्र.सिंह पता सा.रहिकवारा भूमि स्वामी	570/2/1	0.045
127	मो अरिफ पिता मो शरीफ जाति मुसलमान पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	570/2/2	0.056
128	मुफूलकुमारी बेवा उत्तम सिंह, पुष्पेन्द्र सिंह, कौशलेन्द्र सिंह, पिता उत्तम सिंह मुराजकुमारी सिंह, बेवा पुष्पराज सिंह, अमर सिंह, रंजना, साधना, वंदना, पिता पुष्पराज सिंह, सालिनी सिंह नावा. सर.मां राजकुमारी सिंह बेवा पुष्पराज सिंह जाति वैस पता सा.रहिकवारा भूमि स्वामी	581	0.065
129	श्रीमती कमला पत्नी लालमन साहू पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	582/2	0.170
130	शिवकुमारी पत्नी स्वामीदीन ब्रा पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1321	0.195

131	जयनारायण पुत्र स्वामीदीन ब्रा पता राधेपुर नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1318/1	0.260
132	राजेश कुमार पिता रामसुन्दर ब्रा पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1232	0.065
133	शिवकुमार पिता चन्द्रशेखर जाति ब्रा. पता सा. रहिकवारा भूमिस्वामी	583	0.006
134	रामनरेश पिता काशीप्रसाद जाति ब्रा पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	282	0.022
135	रामनरेश पिता काशीप्रसाद जाति ब्रा पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	281	0.012
136	ज्वालाप्रसाद पिता बालाराम जाति ब्रा 1/3 पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी बाला प्रसाद पिता बालाराम जाति ब्रा 1/3 पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रामफल पिता बालाराम जाति ब्रा 1/3 पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	279/1	0.010
137	जमुना प्रसाद पिता दीनबन्धु काछी पता सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	279/2	0.006
138	मोयुनुस पिता खैरतिया मुसलमान जाति मुस्लिम पता रहिकवारा नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	268/1	0.006
139	मोयुनुस पिता खैरतिया मुसलमान जाति मुस्लिम पता रहिकवारा नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	269/1	0.058
140	गोइसरास पिता खैरतिया मुसलमान जाति मुस्लिम पता रहिकवारा नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	269/2	0.208
141	देवी प्रसाद पिता शारदा प्रसाद माली पता सा.रहिकवारा भूमि स्वामी	265/2	0.010
142	देवी प्रसाद पिता शारदा प्रसाद माली पता सा.रहिकवारा भूमि स्वामी	264/2	0.285
143	जगदम्बा प्रसाद पिता शारदा प्रसाद जाति माली पता सा. रहिकवारा भूमि स्वामी	263	0.002
144	रामपाल पिता तेजभानसिंह बैस पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	253/3	0.010
145	रामपाल पिता तेजभानसिंह बैस पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	252/2	0.210
146	राधेलाल पिता रामाश्रय काछी पता रहिकवारा सतना मध्य	258/2	0.045
147	ज्वाला प्रसाद पिता बालाराम जाति ब्रा. हि. 1/2, बाला प्रसाद पिता बालाराम जाति ब्रा. पता रहिकवारा सतना	280/1	0.185
148	जमुना प्रसाद पिता दीनबन्धु काछी पता सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	280/2	0.048
149	चनदना सिंह पुत्री लाल सिंह बैस 1/6, रजनासिंह पुत्री लाल सिंह बैस 1/6 पता नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी चिरणजीत सिंह पुत्र लाल सिंह बैस 1/6, विमलजीत सिंह पुत्र लाल सिंह बैस 1/6, प्रभात सिंह पुत्र लाल सिंह बैस 1/6, हरमीत सिंह पुत्र लाल सिंह बैस 1/6 पता नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	251	0.040

150	चनदना सिंह पुत्री लाल सिंह बैस 1/6 पता नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रजनांसिंह पुत्री लाल सिंह बैस 1/6 पता नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी चिरणजीत सिंह पुत्र लाल सिंह बैस 1/6 पता नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी विमलजीत सिंह पुत्र लाल सिंह बैस 1/6 पता नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी प्रभात सिंह पुत्र लाल सिंह बैस 1/6 पता नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी हरमीत सिंह पुत्र लाल सिंह बैस 1/6 पता नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	250	0.170
151	रमाशंकर, पुरुषोत्तम कुमार, पुष्पेन्द्र कुमार, जयशराम पिता सुन्दरलाल ब्रा. पता सा.उरदान भूमि स्वामी	249	0.015
152	रामनाथ रोहणी प्रसाद विजय कुमारी पिता भालूराम जाति ब्रा. पता सा.रहिकवारा भूमि स्वामी	247/1	0.080
153	रमाशंकर, पुरुषोत्तम कुमार, पुष्पेन्द्र कुमार, जयशराम पिता सुन्दरलाल ब्रा. पता सा.उरदान भूमि स्वामी	247/2	0.120
154	रविन्द्रनाथ पिता भइयालाल सा.बम्होरी जाति गर्ग भूमि स्वामी	248/2	0.085
155	रमाशंकर, पुरुषोत्तम कुमार, पुष्पेन्द्र कुमार, जयशराम पिता सुन्दरलाल ब्रा. पता सा.उरदान भूमि स्वामी	245	0.015
156	दुखिया पिता बहोरा जाति काछी पता सा.रहिकवारा भूमि स्वामी	244/1	0.050
157	रमाशंकर, पुरुषोत्तम कुमार, पुष्पेन्द्र कुमार, जयशराम पिता सुन्दरलाल ब्रा. पता सा.उरदान भूमि स्वामी	243	0.110
158	विसरनिया पिता बहोरा काछी पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	649	0.010
159	रामबिहारी कुशवाहा पिता रामावतार कुशवाहा पता 1 रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	652	0.115
160	संतोषीलाल पिता जगन्नाथ काछी पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	647/3	0.021
161	लल्ली पत्नी ध्रुव कुशवाहा पता सा.रहिकवारा भूमि स्वामी	653/2	0.045
162	मोयुनुस पिता खैरतिया मुसलमान जाति मुस्लिम पता रहिकवारा नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1067	0.041
163	मंधारीलाल कुशवाहा पिता रामकिशोर कुशवाहा पता रहिकवारा नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1070/2	0.035
164	संतोषीलाल पिता जगन्नाथ काछी पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	648/3	0.118
165	जगन्नाथ पिता धनइया काछी पता नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1071	0.075
166	जगन्नाथ पिता धनइया काछी पता नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1073	0.052
167	भाईलाल पिता कुन्ना चौधरी पता सा.रहिकवारा भूमि स्वामी	1082	0.045
168	भाईलाल पिता कुन्ना चौधरी पता सा.रहिकवारा भूमि स्वामी	1089	0.055
169	भाईलाल पिता कुन्ना चौधरी पता सा.रहिकवारा भूमि स्वामी	1087	0.010
170	मु.बेवा जौहरिया रामलखन पिता जौहरिया काछी पता सा. रहिकवारा भूमि स्वामी	1085	0.010

171	लल्लू सिंह पिता बृजभान सिंह पता रहिकवारा सतना	1093	0.052
172	लल्लू सिंह पिता बृजभान सिंह पता रहिकवारा सतना	1095	0.021
173	रामबहोर कुशवाहा पिता रामकिशोर कुशवाहा पता रहिकवारा नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1098/2	0.042
174	लल्लू सिंह पिता बृजभान सिंह पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1109	0.111
175	केशकली बेवा हीरालाल काछी पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी मैथलीशरण पुत्र हीरालाल काछी पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी शकुन्तला देवी पुत्री हीरालाल काछी पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1142	0.052
176	केशकली बेवा हीरालाल काछी पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी मैथलीशरण पुत्र हीरालाल काछी पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी शकुन्तला देवी पुत्री हीरालाल काछी पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1143	0.042
177	केशकली बेवा हीरालाल काछी पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी मैथलीशरण पुत्र हीरालाल काछी पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी शकुन्तला देवी पुत्री हीरालाल काछी पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1144	0.042
178	वृजेश पिता मदरासी काछी जाति काछी पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1145	0.015
179	राजेश कुमार नाबा. तनय मद्रासी सर. पिता मद्राली जाति कुशवाहा पता सा. रहिकवारा भूमि स्वामी	1150/1	0.010
180	वृजेश पिता मदरासी काछी जाति काछी पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1150/2	0.031
181	मंधारीलाल कुशवाहा पिता रामकिशोर कुशवाहा पता रहिकवारा नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1099/1	0.029
182	अजीतलाल कुशवाहा पिता रामकिशोर कुशवाहा पता रहिकवारा नागौद सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	1099/2	0.044
183	सुशीलाबाई पत्नी सुदामा प्रसाद ब्रा पता सुरदहाकला सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1041/1	0.045
184	उदयपाल सिंह पिता तेजभान सिंह पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1041/2	0.016
185	रामपाल पिता तेजभान सिंह बैस पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1041/3	0.003
186	मोतीमन पिता रामसजीवन जाति तिवारी पता सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1042	0.032
187	मोतीमन पिता रामसजीवन जाति तिवारी पता सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1043	0.030
188	मोतीमन पिता रामसजीवन जाति तिवारी पता सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1044	0.020

189	मोतीमन पिता रामसजीवन जाति तिवारी पता सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1045	0.020
190	बाला प्रसाद कुशवाहा पिता रामदीन कुशवाहा जाति काछी पता हनुमन सागर नागोद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1420/1/1/2/2	0.040
191	रमेश कुशवाहा पिता रामदीन कुशवाहा जाति काछी पता हनुमन सागर नागोद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1420/1/1/2/4	0.088
192	लालमन पिता रामसजीवन जाति ब्रा पता सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	1408/1/1/1/1/1	0.040
193	राजमन पिता रामसजीवन जाति ब्रा. पता सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	1408/1/1/1/1/2	0.040
194	रामलाल व पुत्री राधा शकुन माया काया पिता भोला जाति काछी पता सा. रहिकवारा भूमिस्वामी	1153	0.010
195	हनुमानशरण पिता सुन्दरलाल काछी पता सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1393	0.055
196	हनुमानशरण पिता सुन्दरलाल काछी पता सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1394	0.021
197	हनुमानशरण पिता सुन्दरलाल काछी पता सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1395	0.052
198	रामनाथ कुशवाहा पिता मस्तराम काछी पता सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1396	0.032
199	रामबिहारी पिता मस्तराम काछी पता सा. रहिकवारा भूमि स्वामी	1382/1	0.062
200	हनुमानशरण पिता सुन्दरलाल काछी पता सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1397	0.094
201	श्रीमती द्रोपदी पत्नी दयाराम कुशवाहा पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1365/1/1	0.065
202	श्रीमती इन्द्रकली पत्नी रामचन्द्र कुशवाहा पता सा. रहिकवारा भूमि स्वामी	1365/1/2	0.045
203	भगवनिया बेवा रामकृपाल काछी 1/5 पता हनुमान सागर नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी फतेलाल पिता रामकृपाल काछी 1/5 पता हनुमान सागर नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी प्रेमलाल पिता रामकृपाल काछी 1/5 पता हनुमान सागर नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी बंदी पुत्री रामकृपाल काछी 1/5 पता हनुमान सागर नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी चंद्रकली पुत्री रामकृपाल काछी 1/5 पता हनुमान सागर नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1365/2	0.012
204	श्रीमती द्रोपदी पत्नी दयाराम कुशवाहा पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1366/1/1	0.021
205	सीताराम पिता रघुवर काछी पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1374	0.030
206	श्रीमती रानी पत्नी रामशरण कुशवाहा पता सा. हनुमान सागर भूमि स्वामी	1369	0.073
207	लल्लू कुशवाहा पिता शिव बालक कुशवाहा पता रहिकवारा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1300/1	0.048

208	भगवनिया बेवा रामकृपाल काछी 1/5 पता हनुमान सागर नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी फत्तेलाल पिता रामकृपाल काछी 1/5 पता हनुमान सागर नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी प्रेमलाल पिता रामकृपाल काछी 1/5 पता हनुमान सागर नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी बंदी पुत्री रामकृपाल काछी 1/5 पता हनुमान सागर नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी चंद्रकली पुत्री रामकृपाल काछी 1/5 पता हनुमान सागर नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1300/2	0.045
209	अगंद प्रसाद पिता पन्नालाल गुप्ता पता रहिकवारा नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1360	0.052
210	अगंद प्रसाद पिता पन्नालाल गुप्ता पता रहिकवारा नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1361	0.012
211	श्रीमती रानी पत्नी रामशरण कुशवाहा पता सा. हनुमान सागर भूमि स्वामी	1378/4	0.135
212	रामसरन पिता झुरा जाति काछी पता हनुमानसागर सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	1371	0.038
213	रामसरन पिता झुरा जाति काछी पता हनुमानसागर सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	1376	0.030
कुल योग-			25.071

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत राजापुर माइनर-1 एवं राजापुर मानइर -2 नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 12 दिसम्बर 2024

प्रकरण क्रमांक 0004/अ-82/2024-25 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

—: अनुसूची - 1 :-

परियोजना का नाम :- पार्वती वृहद परियोजना

भूमि का वर्णन

(क) जिला - सीहोर

(ख) तहसील - श्यामपुर

(ग) ग्राम - पड़याला

(घ) क्षेत्रफल - 10.355 है. भूमि ✓

—: अनुसूची - 2 :-

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा हे.में	अर्जित रकबा हे. में	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	राजा शुभम पिता प्रकाश जाति घोसी पता पड़याला-2 श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी हि. 1/2, प्रकाश पुत्र धनसिंह पता पड़ियाला श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी हि. 1/4, घीसीबाई पिता धनसिंह पता पड़ियाला श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी हि. 1/4	11/2/1	0.078	0.050	

रा.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा हे.में	अर्जित रकबा हे. में	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
2	हेमसिंह पिता लक्ष्मणसिंह जाति जाट पता पड़याला-2 श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	28/1/2/1	0.707	0.707	
3	हेमसिंह पिता नारायण सिंह जाति धोषी पता पड़याला-2 श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	14/2/1	2.465	0.200	
4	जीतेन्द्रसिंह पिता मॉंगीलाल जाति घोसी पता पड़याला-2 श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी हि. 1/2, जसवंतसिंह उर्फ नरेंद्र पुत्र मॉंगीलाल जाति घोसी पता पड़याला-2 श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी हि. 1/2	44	2.225	0.190	
5	छोटेलाल पुत्र नन्नूलाल जाति कुम्हार पता नि0 ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	92/2/2/4/1	0.383	0.300	
6	आशाबाई पति लखन सिंह जाति जाट पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	221/2/2/1/1	0.404	0.160	मूल पट्टेदार नहीं है, भुगतान के समय नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
7	सुन्दरबाई बेवा बृजलाल जाति चमार पता पड़याला-2 श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	326/2/7/1	0.500	0.500	
8	लीलाकिशन पुत्र हरचंद जाति चमार पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	326/2/5/1	0.600	0.600	
9	रामकुंवरबाई बेवा हरी सिंह जाति सुतार पता निवासी ग्राम सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	92/2/2/2	0.769	0.650	
10	ज्ञानसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति जाट पता नि0 ग्राम सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	17/1/2 17/2. 18/2. 21. 22/2ख	0.809	0.380	

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राग	सर्वे नंबर	कुल रकबा हे.में	अर्जित रकबा हे. में	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
11	रविकुमार पुत्र हेमसिंह जाति जाट पता निवासी ग्राम सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	30/1/1	2.140	1.200	
12	गोरिया उर्फ गोपीलाल पिता घीसीलाल जाति चमार पता पड़याला-2 श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	326/2/10	1.092	0.160	
13	प्यारेलाल पुत्र हजारीलाल जाति चमार पता नि0 ग्राम सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	326/2/11	1.092	0.150	
14	नत्था पुत्र गोरेलाल जाति चमार पता नि0 ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी.	450/229	0.053	0.053	
15	देवकरण पुत्र रुगनाथ सिंह जाति घोषी पता नि0 ग्राम श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	446/42/2	1.332	0.130	
16	सुरेन्द्र पुत्र मांगीलाल जाति घोषी पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	474/42/1	0.955	0.400	
17	रुगनाथसिंह पुत्र फतेह सिंह जाति दांगी पता निवासी ग्राम सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	444/16/1	1.691	0.400	
18	जसमतसिंह पिता नारायणसिंह जाति घोषी पता पड़याला-2 श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	444/16/2	1.688	0.450	
		13/1	2.202	0.220	
19	कृष्णाबाई पत्नी रघुवीरसिंह जाति घोषी पता पड़याला-2 श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	28/3	0.251	0.251	
20	धर्मेन्द्र पुत्र कमलसिंह जाति जाट पता निवासी ग्राम सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	8/3/2 9/1 20/2/1	0.563	0.350	
		7/2/2 8/1	0.777	0.777	

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा हे.में	अर्जित रकबा हे. में	रिमाक
1	2	3	4	5	6
21	माखन सिंह पिता प्रभुलाल जाति जाट पता पड़याला सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	8/3.9/1, 20/2/1/1	0.603	0.350	
22	अजावसिंह पुत्र मांगीलाल जाति ठाकुर पता नि0 ग्राम सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	47/1	0.748	0.060	
23	पेपकुंवरबाई बेवा भगवानसिंह जाति ठाकुर पता पड़याला-2 श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी हि.1/3, अरविन्द पिता भगवानसिंह पता पड़याला-2 श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी हि. 1/3, अभिषेक पिता भगवानसिंह पता पड़याला-2 श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी हि. 1/3	47/3	0.748	0.320	
24	निर्भयसिंह पुत्र मांगीलाल जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	47/4	0.748	0.060	
25	कृष्णासिंह पुत्र बनेसिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	47/2	3.626	0.450	
26	भंवरलाल पिता नाथूराम पता पड़याला-2 श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय हि. 1/4, कमलसिंह पिता नाथूराम पता पड़याला-2 श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय हि. 1/4, प्रेमनारायण पिता नाथूराम पता पड़याला-2 श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय हि. 1/4 आत्माराम पिता नाथूराम पता पड़याला-2 श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय हि. 1/4	330	0.607	0.607	
27	रामबाबू पुत्र हीरालाल जाति जाट पता निवासी ग्राम श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	30/1/5	0.534	0.140	
28	बने सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति जाट पता निवासी ग्राम सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	17/1/4	1.154	0.090	
	कुल योग :-	30	31.544	10.355	

1. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सीहोर/तहसीलदार श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रवीण सिंह अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

ई.क्र. 2023-रीडर-भू-अर्जन-2024-प्र.क्र.001-अ-82-2024-25

मंदसौर, दिनांक 18 दिसम्बर 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 मंदसौर जिले में दाब युक्त सुक्ष्म एवं वृहद सिंचाई परियोजना के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार/व्यक्तिवार सर्वे क्रमांक विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013(क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम टकरावद तहसील मल्हारगढ जिला मन्दसौर				
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टर में				
स.क्र.	विवरण	सिंचित	असिंचित	कुल
	ग्राम टकरावद	0.874	—	0.874
	योग	0.874	—	0.874

अनुसूची (2)

उपखण्ड मल्हारगढ जिला मंदसौर में आने वाली निजी भूमि का विवरण

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित(हे.में)	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	तुलसीराम, दिनेश पिता भेरूलाल कुल्मी नि. ग्राम टकरावद तहसील मल्हारगढ	17/5	0.584	0.020	—	0.020
2.	कुतुबुददीन पिता नूर मोहम्मद पिंजारा निवासी ग्राम टकरावद तहसील मल्हारगढ	17/6	0.589	0.190	—	0.190
3.	कवरलाल पिता रामचन्द्र नायक नि.ग्राम टकरावद तहसील मल्हारगढ	20/1	0.073	0.005	—	0.005
4.	गुलाम हुसेन पिता जलालुद्दीन पिंजारा नि. ग्राम टकरावद तहसील मल्हारगढ	626/1	0.211	0.090	—	0.090
5.	रजाक मोहम्मद पिता जलालुद्दीन पिंजारा नि.ग्राम टकरावद तहसील मल्हारगढ	626/2	0.210	0.017	—	0.017
6.	लक्ष्मीबाई बेवा भेरूलाल, तुलसीराम, दिनेश पिता भेरूलाल कुल्मी नि.ग्राम टकरावद तहसील मल्हारगढ जिला मंदसौर	629/2	0.874	0.365	—	0.365
7.	शकरलाल पिता बापुलाल कुल्मी नि.ग्राम टकरावद तहसील मल्हारगढ	630	1.720	0.187	—	0.187
	कुल योग	7	4.261	0.874	—	0.874

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालय भू अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड मल्हारगढ के न्यायालय में देखा जा सकता है।

ई.क्र. 2025-रीडर-भू-अर्जन-2024-प्र.क्र.002-अ-82-2024-25

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूचि क्रमांक 1 मंदसौर जिले में दाब युक्त सुक्ष्म एवं वृहद सिंचाई परियोजना के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार/व्यक्तिवार सर्वे क्रमांक विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013(क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम अरनिया जटिया तहसील मल्हारगढ जिला मन्दसौर				
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टर में				
स.क्रं	विवरण	सिंचित	असिंचित	कुल
	ग्राम अरनिया जटिया	0.200	—	0.200
	योग	0.200	—	0.200

अनुसूचि (2)

ग्राम अरनिया जटिया उपखण्ड मल्हारगढ जिला मंदसौर में आने वाली निजी भूमि का विवरण

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल भूमि का रकबा (हे.में)	प्रभावित भूमि		
				सिंचित(हे.में)	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	गोपाल पिता देवीलाल जटिया निवासी ग्राम अरनिया जटिया तहसील मल्हारगढ, भूमिस्वामी अहस्तान्तरणीय	205/5	0.50	0.04	—	0.04
2.	भगताराम पिता नन्दा, जगदीश पिता नाथु जाति जटिया नि.ग्राम अरनिया जटिया, भूमिस्वामी अहस्तान्तरणीय	205/6	0.22	0.02	—	0.02
3.	भेरूलाल पिता रामचन्द्र, हुलासबाई पति भेरूलाल, जटिया नि.अरनिया जटिया तहसील मल्हारगढ, भूमिस्वामी अहस्तान्तरणीय	205/7	0.25	0.02	—	0.02
4.	दयाराम पिता रामचन्द्र, कुशालीबाई पति दयाराम जटिया नि.अरनिया जटिया, भूमिस्वामी अहस्तान्तरणीय	205/9	0.75	0.06	—	0.06
5.	हीरालाल पिता किशनलाल, जशोदाबाई पति हीरालाल, जटिया नि.अरनिया जटिया, भूमिस्वामी अहस्तान्तरणीय	205/8	0.50	0.03	—	0.03
6.	वरदीबाई बेवा रामचन्द्र, अमृतराम, दयाराम पिता रामचन्द्र जटिया नि.ग्राम अरनिया जटिया तहसील मल्हारगढ जि.मन्दसौर	170	0.70	0.03	—	0.03
कुल योग :-			2.92	0.20	—	0.20

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालय भू अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड मल्हारगढ के न्यायालय में देखा जा सकता है।

ई.क्र. 2021-रीडर-भू-अर्जन-2024-प्र.क्र.003-अ-82-2024-25

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 मंदसौर जिले में दाब युक्त सुक्ष्म एवं वृहद सिंचाई परियोजना के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार/व्यक्तिवार सर्वे क्रमांक विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013(क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम दोबडा तहसील मल्हारगढ जिला मन्दसौर				
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टर में				
स.क्रं	विवरण	सिंचित	असिंचित	कुल
	ग्राम दोबडा	0.382	--	0.382
	योग	0.382	--	0.382

अनुसूची (2)

ग्राम दोबडा उपखण्ड मल्हारगढ जिला मंदसौर में आने वाली निजी भूमि का विवरण

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल भूमि का रकबा (हे.में)	प्रभावित भूमि		
				सिंचित (हे.में)	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	जगदीश पिता गंगाराम नि.ग्राम अरनियाजटिया तह. मल्हारगढ	464/1	0.020	0.008	--	0.008
2.	बंसतीलाल, भंवरलाल, जगदीश पिता गंगाराम, राधाबाई बेवा गंगाराम, गायरी नि.ग्राम अरनिया जटिया	464/2	0.040	0.008	--	0.008
3.	जगन्नाथ पिता रामचन्द्र गायरी नि.ग्राम अरनियाजटिया	464/3	0.020	0.008	--	0.008
4.	प्रभुलाल पिता रामचन्द्र गायरी नि.ग्राम अरनियाजटिया	464/4	0.020	0.008	--	0.008
5.	धापुबाई पति देवीलाल गायरी नि.ग्राम अरनियाजटिया	466/1	0.620	0.027	--	0.027
6.	रामगोपाल पिता भागीरथ नि.ग्राम दोबडा	466/2	0.240	0.027	--	0.027
7.	दशरथलाल पिता नाथुलाल ब्राम्हण नि.ग्राम दोबडा	470/1	0.340	0.001	--	0.001
8.	मुकेश पिता नाथुलाल ब्राम्हण नि.ग्राम दोबडा	470/2	0.340	0.001	--	0.001
9.	सुरेशचन्द्र पिता नाथुलाल ब्राम्हण नि.ग्राम दोबडा	470/3	0.350	0.001	--	0.001
10.	जगदीश पिता गंगाराम नि.ग्राम अरनिया जटिया	473/2	0.380	0.036	--	0.036
11.	बंसतीलाल, भंवरलाल, जगदीश पिता गंगाराम, राधाबाई बेवा गंगाराम गायरी नि.ग्राम अरनिया जटिया	473/3	0.380	0.021	--	0.021
12.	जगन्नाथ पिता रामचन्द्र गायरी नि.ग्राम अरनिया जटिया	473/4	0.600	0.021	--	0.021
13.	मुरीबाई बेवा अमृतराम, बंशीलाल, रमेशचन्द्र, कचरीबाई, जसोदाबाई पिता अमृतराम नि. अरनियाजटिया	468	0.190	0.010	--	0.010
14.	देवीलाल पिता भुवान गायरी नि.ग्राम अरनिया जटिया	474	2.830	0.205	--	0.205
	कुल योग	किता 14	6.370	0.382		0.382

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालय भू अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड मल्हारगढ के न्यायालय में देखा जा सकता है।

अदिति गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 22 नवंबर 2024

संशोधित अधिसूचना

क्र. ए-8055-तीन-10-42-75 (मंदसौर-सीतामऊ).- उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक बी-4425-तीन-10-42-75, दिनांक 19 सितम्बर 2024, जहां तक कि उसका संबंध श्री मुनेन्द्र सिंह वर्मा, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, मंदसौर की श्रृंखला न्यायालय सीतामऊ से है, के अनुक्रम में एतद्वारा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त श्रृंखला न्यायालय प्रत्येक माह में एक सप्ताह के स्थान पर दो सप्ताह बैठक करेगी.

No. : A-8055-III-10-42-75(Mandsaur-Sitamau).- In continuation of High Court Notification No. B-4425-III-10-42-75, dated 19th September 2024, so far as it relates to holding of Link Court by Shri Munendra Singh Verma, Additional Judge to the Court of 1st District & Additional Sessions Judge, from Mandsaur to Sitamau, it is hereby directed that the said Link Court will hold its sitting at Sitamau for Two Weeks in a month in place of one Week.

जबलपुर, दिनांक 28 नवंबर 2024

संशोधित अधिसूचना

क्र. बी-5368-तीन-10-42-75-(बुरहानपुर-नेपानगर).- उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक बी-1011-तीन-10-42-75, दिनांक 8 अप्रैल 2024 जहां तक कि उसका संबंध श्री गुरुवेन्द्र कुमार हुरमाडे, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बुरहानपुर की श्रृंखला न्यायालय नेपानगर से है, के अनुक्रम में एतद्वारा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त श्रृंखला न्यायालय "प्रत्येक सप्ताह में एक दिवस" के स्थान पर "प्रत्येक माह में एक सप्ताह" बैठक करेगी.

No. B-5368-III-10-42-75-(Burhanpur-Nepanagar).- In continuation of High Court Notification No. B-1011-III-10-42-75, dated 8th April 2024, so far as it relates to holding of Link Court by Shri Guruvendra Kumar Hurmade, IIIrd Civil Judge Junior Division, from Burhanpur to Nepanagar, it is hereby directed that the said Link Court will hold its sitting at Nepanagar for " One Week in a month" in place of " One Day in a week."

क्र. B-5370-तीन-10-42-75.- एतद्वारा यह निर्देशित किया जाता है कि श्री राहुल सोनी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, जुन्नारदेव, जिला छिंदवाड़ा जिन्हें अपनी पदस्थापना के स्थान जुन्नारदेव के अतिरिक्त तामिया में प्रत्येक माह में दो सप्ताह की अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया था, अब माह के समस्त कार्यदिवसों पर अपनी पदस्थापना के स्थान, जुन्नारदेव में ही बैठक करेंगे. जुन्नारदेव-तामिया श्रृंखला न्यायालय की बैठक एतद्वारा समाप्त की जाती है.

यह भी निर्देशित किया जाता है कि श्री दिलीप माहोर, नवम् व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड रीवा जिन्हें अपनी पदस्थापना के स्थान रीवा के अतिरिक्त मनगवों में प्रत्येक माह में 15 दिवस की अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया था, अब माह के समस्त कार्यदिवसों पर अपनी पदस्थापना के स्थान, रीवा में ही बैठक करेंगे. रीवा-मनगवों श्रृंखला न्यायालय की बैठक एतद्वारा समाप्त की जाती है.

यह भी निर्देशित किया जाता है कि श्री आशीष कुमार माधौरिया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड बण्डा, जिला सागर जिन्हें अपनी पदस्थापना के स्थान बण्डा के अतिरिक्त शाहगढ़ में प्रत्येक माह में 15 दिवस की अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया था, अब माह के समस्त कार्यदिवसों पर अपनी पदस्थापना के स्थान, बण्डा में ही बैठक करेंगे. बण्डा-शाहगढ़ श्रृंखला न्यायालय की बैठक एतद्वारा समाप्त की जाती है.

यह भी निर्देशित किया जाता है कि श्री अंकुर तिवारी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, देवसर, जिला सिंगरौली जिन्हें अपनी पदस्थापना के स्थान देवसर के अतिरिक्त सरई में प्रत्येक माह में दो सप्ताह की अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया था, अब माह के समस्त कार्यदिवसों पर अपनी पदस्थापना के स्थान, देवसर में ही बैठक करेंगे. देवसर-सरई श्रृंखला न्यायालय की बैठक एतद्वारा समाप्त की जाती है.

No. B-5370-III-10-42-75.- It is hereby directed that Shri Rahul Soni, Ist Additional Judge to the Court of Ist Civil, Junior Division, Junnardeo, District Chhindwara, who was directed to hold sitting at Tamia in addition to his place of Posting for a period of two Weeks in a month for holding Link Court, will henceforth hold sitting at

Junnardeo only on all working days in a month.
The sitting of Junnardeo-Tamia Link Court is hereby discontinued.

It is also directed that Shri Dilip Mahor, IXth Civil Judge, Junior Division, Rewa, who was directed to hold sitting at Mangawa in addition to his place of posting for a period of 15 days in a month for holding Link Court, will henceforth hold sitting at Rewa only on all working days in a month. **The sitting of Rewa-Mangawa Link Court is hereby discontinued.**

It is also directed that Shri Ashish Kumar Mathoriya, IInd Civil Judge, Senior Division, Banda, District Sagar, Who was directed to hold sitting at Shahgarh in addition to his place of Posting for a period of 15 days in a month for holding Link Court, will henceforth hold sitting at Banda only on all working days in a month. **The sitting of Banda-Shahgarh Link Court is hereby discontinued.**

It is also directed that Shri Ankur Tiwari, IInd Civil Judge, Junior Division, Deosar, District Singrauli, who was directed to hold sitting at Sarai in addition to his place of Posting for a period of Two Weeks in a month for holding Link Court, will henceforth hold sitting at Deosar only on all working days in a month. **The sitting of Deosar-Sarai Link Court is hereby discontinued.**

जबलपुर, दिनांक 03 दिसम्बर 2024

क्र. B-5417-तीन-10-42-75.- एतद्वारा यह निर्देशित किया जाता है कि निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक (3) में वर्णित न्यायाधीशगण अपनी पदस्थापना के स्थान के अतिरिक्त कॉलम क्रमांक (2) में वर्णित स्थान पर प्रत्येक माह में कॉलम क्रमांक (4) में दर्शित अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे.

No. : B-5417-III-10-42-75.-The Judge(s) named in the column no. (3) of the following table is hereby directed to hold sitting at place mentioned in the column no. (2) of the table in addition to his place of posting for the period mentioned in column no.(4) for holding Link Court :-

TABLE

S. No.	Places, where Link Court is to be held (District)	Name of the Officer and designation	Period in a month for which Link Court is to be held
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Malthone (Sagar)	Sushri Soumya Vijayvargiya, IInd Civil Judge, Senior Division, Khurai	15 days
2.	Rahatgarh (Sagar)	Shri Rohit Sharma Additional Judge To I st Civil Judge, Junior Division, Sagar	15 days

माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार,
रितुराज सिंह चौहान, रजिस्ट्रार (डिस्ट्रिक्ट इसटब्लिशमेंट)

जबलपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2024

क्र. C-7725-तीन-2-40-2024.- श्री युगल रघुवंशी, रजिस्ट्रार (W&I), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 21 से 25 अक्टूबर 2024 तक पाँच दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

1. अवकाश से लौटने पर श्री युगल रघुवंशी, रजिस्ट्रार (W&I), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

2. कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

3. प्रमाणित किया जाता है कि श्री युगल रघुवंशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (W&I) के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2024

क्र. C-8169-दो-2-38-2017.- श्री समरेश सिंह, रजिस्ट्रार (IT), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 25 से 28 नवम्बर 2024 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 नवम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री समरेश सिंह, रजिस्ट्रार (IT), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री समरेश सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (IT), के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2024

क्र. A-8196-चार-8-42-1977-भाग-सोलह.- सुश्री निधि मोदिता पिण्टों, डिप्टी डायरेक्टर, एम.पी.एस.जे.ए., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2024 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 एवं 22 दिसम्बर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही दिनांक 21 दिसम्बर 2024 की सुबह से दिनांक 1 जनवरी 2025 की शाम तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर सुश्री निधि मोदिता पिण्टों, डिप्टी डायरेक्टर, एम.पी.एस.जे.ए., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री निधि मोदिता पिण्टों, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो डिप्टी डायरेक्टर, के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. A-8201-दो-2-60-2014- श्री राजेश कुमार शर्मा, रजिस्ट्रार (M), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 16 से 20 दिसम्बर 2024 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 एवं 15 दिसम्बर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 दिसम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति के साथ दिनांक 13 दिसम्बर 2024 की शाम से दिनांक 23 दिसम्बर 2024 की सुबह तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार शर्मा, रजिस्ट्रार (M), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (M), के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-8205-दो-2-15-2024.- डॉ. धर्मेन्द्र टाडा, फेकल्टि मेंबर (Sr.), एम.पी.एस.जे.ए., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 26 से 29 दिसम्बर 2024 तक चार दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 30 से 31 दिसम्बर 2024 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही दिनांक 26 से 31 दिसम्बर 2024 तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर डॉ. धर्मेन्द्र टाडा, फेकल्टि मेंबर (Sr.), एम.पी.एस.जे.ए., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को पुनः जबलपुर पदस्थापित किया जाता है।

शीतकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. धर्मेन्द्र टाडा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो फेकल्टि मेंबर (Sr.), एम.पी.एस.जे.ए. के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-8207-दो-2-57-2020.- श्रीमती नमिता द्विवेदी, असिस्टेंट डायरेक्टर, एम.पी.एस.जे.ए., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 23 से 25 दिसम्बर 2024 तक तीन दिन शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 26 से 31 दिसम्बर 2024 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 एवं 22 दिसम्बर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति के साथ दिनांक 20 दिसम्बर 2024 की शाम से दिनांक 2 जनवरी 2025 की सुबह तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती नमिता द्विवेदी, असिस्टेंट डायरेक्टर, एम.पी.एस.जे.ए., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

शीतकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती नमिता द्विवेदी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत रहतीं।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

एम.व्ही.आर. बालाजी शर्मा, डी.आर.-कम-पी.पी.एस.

जबलपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2024

संशोधित आदेश

क्र. A-8199-दो-3-420-80-भाग-बारह.- श्रीमती इन्द्रा सिंह, सेवानिवृत्त, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2022 को पूर्व में स्वीकृत रजिस्ट्री आदेश क्रमांक ए-7858, दिनांक 11 नवम्बर 2024 के अंतर्गत स्वीकृत $241+118(118/2=59)=300$ दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृत प्रदान की गई है।

रजिस्ट्री के उक्त आदेश को संशोधित किया जाकर 241 के स्थान पर 239 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 118 $(118/2=59)$ अर्द्धवेतन अवकाश के स्थान पर 122 $(122/2=61)$ अर्द्धवेतन अवकाश (अर्थात् $239+122(122/2=61)=300$, पढ़ा जावे।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

एम.व्ही.आर. बालाजी शर्मा, डी.आर.-कम-पी.पी.एस.

Jabalpur, the 25th November 2024

No.A-8124-I-7-3/2024 (Part-I).- It is hereby notified that the following are the Vacation/ Holidays of the High Court of Madhya Pradesh during the Year 2025.

Summer Vacation :- From 21st May 2025 to 13th June, 2025.

Winter Vacation :- From 22nd December 2025 to 31st December, 2025.

Sr. No.	Name of Holidays	Dates as per Gregorian Calendar	Days of Week
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	New Year's Holiday	01.01.2025	Wednesday
2.	Makar Sankranti	14.01.2025	Tuesday
3.	Basant Panchami	03.02.2025	Monday
4.	Mahashivratri	26.02.2025	Wednesday
5.	Holika Dahan	13.03.2025	Thursday
	Holi (Dhuredi)	14.03.2025	Friday
6.	Id-UI-Fitar	31.03.2025	Monday
7.	Mahaveer Jayanti	10.04.2025	Thursday
8.	Dr. Ambedkar Jayanti/Baisakhi	14.04.2025	Monday
9.	Good Friday	18.04.2025	Friday
10.	Buddh Purnima	12.05.2025	Monday
11.	Id-UI-Zuha	07.06.2025	Saturday
12.	Independance Day	15.08.2025	Friday
13.	Ganesh Chaturthi	27.08.2025	Wednesday
14.	Id-milad un-Nabi	05.09.2025	Friday
15.	Gandhi Jayanti	02.10.2025	Thursday
16.	Dussehra Holidays (02.10.2025 Dussehra)	29.09.2025	Monday
	Mahaashtami	30.09.2025	Tuesday
	Mahanavmi	01.10.2025	Wednesday
		03.10.2025	Friday
		04.10.2025	Saturday

(1)	(2)	(3)	(4)
17.	Deepawali Holidays (20 th October to 25 th October, 2025)		
	Deepawali	20.10.2025	Monday
	Govardhan Pooja	21.10.2025	Tuesday
	(Including in Deepawali Holidays)	22.10.2025	Wednesday
		23.10.2025	Thursday
		24.10.2025	Friday
		25.10.2025	Saturday
18.	Gurunanak Jayanti	05.11.2025	Wednesday
19.	Christmas Day	25.12.2025	Thursday
Total : 29 Days			

NOTES :-

- Raksha Bandhan dated 9th August 2025, Janmashtmi dated 16th August 2025 falls on Saturday and Republic Day dated 26th January 2025, Gudi Padwa/Chaitichand dated 30th March 2025, Ramnavmi dated 6th April 2025, Moharrum dated 6th July 2025, Sarv Pitra Moksha Amavasya dated 21st September 2025 falls on Sunday therefore these holidays are not declared separately.
- Saturdays falling on 11th & 18th January, 8th & 15th February, 8th & 15th March, 12th & 19th April, 10th & 17th May, 14th & 21st June, 12th & 19th July, 9th & 16th August, 13th & 20th September, 11th & 18th October, 8th & 15th November, 13th & 20th December will be closed Saturdays.
- Saturdays falling on 4th & 25th January, 1st & 22nd February, 22nd & 29th March, 5th & 26th April, 3rd May, 28th June, 5th & 26th July, 2nd, 23rd & 30th August, 6th September 1st, 22nd & 29th November, 6th December will be Court Non working Saturdays. The Registry shall remain open on these Saturdays.
- 13th January and 11th April 2025 will be holiday for the High Court & its Registry. In lieu of the same Saturdays falling on 1st March & 27th September 2025 will be Court working Saturdays of High Court.
- Summer Vacation of High Court shall be from 21st May, 2025 to 13th June, 2025 and Winter Vacation from 22nd December 2025 to 31st December, 2025.
- Due to uncertainty relating to Id-UI-Fitar, Id-UI-Zuha, Moharrum, Id-Milad un-Nabi or any other holiday, the same may be modified as directed by Hon'ble Chief Justice.

TENTATIVE LIST OF HOLIDAYS OF THE DISTRICT JUDICIARY FOR THE YEAR 2025

No.A-8126-I-7-3-2024 (Part-I).—The following Tentative list of Holidays and Vacations for the District Judiciary of the State of Madhya Pradesh during the Year 2025 prepared by the High Court is hereby published for general information :—

Sr. No. (1)	Name of Holidays (2)	Dates as per Gregorian Calendar (3)	Days of Week (4)
1.	New Year's Holiday	01.01.2025	Wednesday
2.	Makar Sankranti	14.01.2025	Tuesday
3.	Basant Panchami	03.02.2025	Monday
4.	Mahashivratri	26.02.2025	Wednesday
5.	Holika Dahan	13.03.2025	Thursday
	Holi (Dhuredi)	14.03.2025	Friday
6.	Id-UI-Fitar	31.03.2025	Monday
7.	Mahaveer Jayanti	10.04.2025	Thursday
8.	Dr. Ambedkar Jayanti/Baisakhi	14.04.2025	Monday
9.	Good Friday	18.04.2025	Friday
10.	Buddh Purnima	12.05.2025	Monday
11.	Id-UI-Zuha	07.06.2025	Saturday
12.	Raksha Bandhan	09.08.2025	Saturday
13.	Independance Day	15.08.2025	Friday
14.	Ganesh Chaturthi	27.08.2025	Wednesday
15.	Id-milad un-Nabi	05.09.2025	Friday
16.	Gandhi Jayanti	02.10.2025	Thursday
17.	Dussehra Holidays (02.10.2025 Dussehra)		
	Mahaashtami	30.09.2025	Tuesday
	Mahanavmi	01.10.2025	Wednesday
		03.10.2025	Friday

(1)	(2)	(3)	(4)
18.	Deepawali Holidays (20 th October to 23 rd October, 2025)		
	Deepawali	20.10.2025	Monday
	Govardhan Pooja	21.10.2025	Tuesday
	(Included in Deepawali holidays)	22.10.2025	Wednesday
		23.10.2025	Thursday
19.	Gurunanak Jayanti	05.11.2025	Wednesday
20.	Christmas Day	25.12.2025	Thursday
Total : 26 Days			

NOTES :-

1. Janmashtmi dated 16th August 2025 falls on Saturday and Republic Day dated 26th January, 2025, Gudi Padwa / Chaitichand dated 30th March 2025, Ramnavmi dated 6th April, 2025, Moharrum dated 6th July, 2025, Sarv Pitra Moksha Amavasya dated 21st September, 2025 falls on Sunday therefore these holidays are not declared separately.
2. Saturdays falling on 4th & 18th January, 1st & 15th February, 1st & 15th March, 5th & 19th April, 3rd & 17th May, 7th & 21st June, 5th & 19th July, 2nd & 16th August, 6th & 20th September, 4th & 18th October, 1st & 15th November, 6th & 20th December will be closed Saturdays of District Judiciary.
3. Summer Vacation of District Judiciary shall be from 19th May, 2025 to 13th June, 2025 and Winter Vacation from 24th December 2025 to 31st December, 2025.
4. District Judiciary will not observe the holidays declared or changed suddenly by the State Government/Competent Authority without approval of High Court.
5. The Principal District Judge of the concerned district shall declare three Local holidays declared by the Collector/Commissioner of the concerned District or Tehsil without approval of the High Court under intimation to this Registry.
6. Due to uncertainty relating to Id-Ul-Fitar, Id-Ul-Zuha, Moharrum, Id-Milad un-Nabi or any other holiday, the same may be modified as directed by Hon'ble Chief Justice.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
धर्मेन्द्र सिंह (रजिस्ट्रार जनरल).

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय,
खण्डपीठ ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 19 नवम्बर 2024

पृ.क्र. 6350-स्था.— श्री अनिल कुमार देशमुख, मुख्य ग्रंथपाल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 4 से 6 नवम्बर 2024 तक कुल तीन दिवस का अर्जित अवकाश मुख्यालय छोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

2. अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार देशमुख, मुख्य ग्रंथपाल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को पुनः पदस्थापित किया जाता है।

3. अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार देशमुख, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो मुख्य ग्रंथपाल के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
अखिलेश कुमार मिश्र, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश,
खण्डपीठ इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 25 नवम्बर 2024

पृ.क्र.—अवकाश—1900—.— श्री जितेन्द्र भदकारे, रजिस्ट्रार (आईटी—एनसीटी), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर, को दिनांक 11 से 14 नवम्बर 2024 तक चार दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है. साथ ही अवकाश के पूर्व दिनांक 10 नवम्बर 2024 एवं अवकाश के पश्चात् दिनांक 15 एवं 16 नवम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है।

2. अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

3. प्रमाणित किया जाता है कि श्री जितेन्द्र भदकारे, यदि उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (आईटी—एनसीटी) के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
अनूप कुमार त्रिपाठी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार.